[2020] 3 एस. सी. आर 833

सचिव, रक्षा मंत्रालय

वी.

बाबिता पुणे और ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 9367-9369 2011 का)

17 फरवरी, 2020

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

अजय रस्तोगी, जे. जे.]

भारत का संविधानः

कलाएँ। 14 , 15 (1) और 16 (1)-महिला विशेष प्रवेश योजना (अधिकारी) [डब्ल्यू. एस. ई. एस.] के तहत 5 वर्षों के लिए सेना में महिलाओं को शामिल करना।

वर्ष-डब्ल्यू. एस. ई. एस. के तहत प्रारंभिक प्रक्रिया को चौदह साल की बाहरी अवधि के साथ अल्पकालिक सेवा आयोग (एस. एस. सी.) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया-लिखित याचिका

महिला एस. एस. सी. अधिकारियों को स्थायी कमीशन (पी. सी.) देने का निर्देश देने की मांग करते हुए-उच्च न्यायालय ने कहा कि एस. एस. सी. महिला अधिकारी जिन्होंने पी. सी. का विकल्प चुना था और उन्हें पी. सी. नहीं दिया गया था, लेकिन उन्हें विस्तार दिया गया था।

एस. एस. सी., पुरुष एस. एस. सी. अधिकारियों के बराबर पी. सी. के हकदार थे-सुप्रीम कोर्ट में अपील-अपील के लंबित रहने के दौरान केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2019 को अपने संचार द्वारा एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को सेना की दस शाखाओं में पी. सी. प्रदान किया-आयोजितः 25 फरवरी 2019 के संघ के नीतिगत निर्णय को एक ऐसे निर्णय के रूप में माना जाना चाहिए जो महिलाओं के सार्वजनिक नियुक्ति तक पहुंच और सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार को लागू करता है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 15 (1) और 16 (1) में परिकल्पित है।

क्रमशः संविधान-हालांकि, चौदह वर्ष से कम सेवा वाली महिला अधिकारियों और चौदह से बीस वर्ष के बीच सेवा करने वाली महिलाओं के बीच अंतर करने की मांग की गई। और बीस वर्ष से अधिक, गलत है-महिला एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. अनुदान से इस आधार पर वंचित करने का कोई कारण नहीं है कि उन्होंने चौदह वर्ष की सेवा को पार कर लिया है क्योंकि ऐसी स्थिति केवल उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने में केंद्र सरकार की ओर से देरी के कारण उत्पन्न हुई है-इसलिए, महिला एस. एस. सी. अधिकारियों को 14 वर्ष की सेवा की अवधि के भीतर और उसके बाद, पी. सी. अनुदान के लिए समान रूप से विचार करने का हकदार होना चाहिए-साथ ही मानदंड या कमान नियुक्तियों की मांग करने वाली महिलाओं पर पूर्ण प्रतिबंध अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के खिलाफ स्थायी नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कला. 33 – आयोजित होने का क्षेत्रः अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए उनके आवेदन में मौलिक अधिकारों की सीमा या निरसन। 33 , कर्तव्यों का उचित निर्वहन और अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए कानून द्वारा अधिनियमित किया जाना चाहिए।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. संविधान का अनुच्छेद 33 अधिकार देता है

संसद कानून द्वारा यह निर्धारित करेगी कि संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों को अन्य बातों के साथ-साथ उनके आवेदन में किस हद तक प्रतिबंधित/निरस्त किया जाएगा।

सशस्त्र बल ताकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन बनाए रखा जा सके। का प्रभाव

अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए उनके आवेदन में मौलिक अधिकारों को सीमित या निरस्त करने में सक्षम बनाता है। लेकिन इस तरह का प्रतिबंध या निरसन कानून द्वारा होना चाहिए। इसके अलावा, कर्तव्यों के उचित निर्वहन और उनके रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध या निरसन लागू किया जाना चाहिए।

अनुशासन। [पैरा 44] [865-ई-जी]

राम सरूप बनाम। भारत संघ [1964] 5 एस. सी. आर. 931; लेफ्टिनेंट कर्नल पृथ्वी पाल सिंह बेदी बनाम। भारत संघ (1982) 3 एस. सी. सी. 140 [1983] 1 एस. सी. आर. 393; आर. विश्वन बनाम। भारत संघ (1983) 3 एससीसी 401: [1983] (3) एससीआर 60-संदर्भित

को।

2. सेना अधिनियम, 1950 की धारा 12 इस सिद्धांत को मूर्त रूप देती है कि एक महिला केवल नामांकन या रोजगार के लिए पात्र होगी

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा तक ऐसी कोर, विभागों, शाखाओं या निकायों में जो नियमित सेना का हिस्सा हैं या उससे जुड़े हुए हैं। दूसरे शब्दों में, की पात्रता

नियमित सेना में नामांकन या नियुक्ति के लिए महिलाएं धारा 12 के सक्षम प्रावधान के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रावधान पर सशर्त हैं। [पैरा 49] [869-डी-एफ]

3. विवादित आदेश के फैसले के बाद, केंद्र सरकार को स्थायी अनुदान देने का आदेश दिया गया था महिला अधिकारियों को कमीशन (पी. सी.), युद्ध हथियारों को छोड़कर, और उनके पुरुषों को पी. सी. के अनुदान के बराबर

समकक्ष। उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय पर किसी भी स्तर पर रोक नहीं लगाई गई थी, हालांकि एक निर्देश था कि कोई सचिव, रक्षा मंत्रालय v.

बाबिता पुणे

अपील में दिए गए फैसले के आधार पर दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। इस न्यायालय द्वारा दंडात्मक कदम शुरू नहीं करने का निर्देश निर्णय के संचालन पर रोक से अलग है। केंद्र सरकार द्वारा कार्रवाई न करने का कोई कारण या औचित्य नहीं था

उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर विवादित निर्णय, विशेष रूप से, निर्णय के संचालन और प्रवर्तन पर रोक के अभाव में। द यूनियन

सरकार ने 2 सितंबर 2011 के इस न्यायालय के आदेश के बावजूद कार्यान्वयन को विफल करना जारी रखा, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि "विवादित फैसले के संचालन पर बिल्कुल भी रोक नहीं है"। उच्च न्यायालय और इस न्यायालय को भी बहुत कम सम्मान दिया गया है। आखिरकार, फैसले के लगभग नौ साल बाद, संघ ने

फरवरी 2019 में जे. ए. जी. और ए. ई. सी. की मौजूदा धाराओं के अलावा आठ हथियारों/सेवाओं में महिला अधिकारियों को पी. सी. प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार, नीति के रूप में, केंद्र सरकार ने उन सभी दस धाराओं में पी. सी. के अनुदान की अनुमति देने का निर्णय लिया है जिनमें महिला अधिकारियों को वर्तमान में अल्पकालिक सेवा आयोग (एस. एस. सी.) के अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जा रहा था। [पैरा 50] [869-जी-एच; 870-ए-डी] 4. केंद्र सरकार का उन सभी दस धाराओं में महिला अधिकारियों को पी. सी. की अनुमति देने का निर्णय जहां वे कार्यरत हैं

एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में शामिल किए जाने से सेना अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के आधार पर प्रस्तुत करना काफी हद तक अनावश्यक हो जाता है। यहां तक कि धारा 12 की पाठ्य व्याख्या पर भी, जैसा कि यह है, यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के 25 फरवरी 2019 के नीतिगत निर्णय ने उन सभी दस धाराओं में कमीशन प्राप्त महिला अधिकारियों को पी. सी. पर विचार करने की अनुमति दी है जिन्हें अधिसूचित किया गया है। [पैरा 51] [870-डी-जी]

5. केंद्र सरकार का नीतिगत निर्णय महिला अधिकारियों के समानता के अधिकार की मान्यता है।

मौका मिलता है। उस अधिकार का एक पहलू गैर का सिद्धांत है

लिंग के आधार पर भेदभाव जो संविधान के अनुच्छेद 15 (1) में सन्निहित है। अधिकार का दूसरा पहलू सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है।

अनुच्छेद 16 (1) के तहत। इसलिए केंद्र सरकार के नीतिगत बयान को एक ऐसे निर्णय के रूप में माना जाना चाहिए जो महिलाओं के जनता तक पहुंच प्राप्त करने के मौलिक अधिकार को लागू करता है [2020] 3 एस. सी. आर.

नियुक्ति और सेना से संबंधित जुड़ाव के मामलों में अवसर की समानता। मौलिक अधिकार को उन निर्दिष्ट धाराओं में मान्यता दी गई है जहां महिलाओं को सशस्त्र बल के समान सदस्यों के रूप में शामिल होने की अनुमति है जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय सेना करती है। संघ का निर्णय

सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों में सिद्धांत का विकास। इस कारण से युद्ध हथियारों में महिलाओं की भागीदारी को विशेष रूप से उच्च न्यायालय द्वारा नीति का विषय माना गया है और जो वर्तमान अपीलों में प्रश्न में नहीं है। द. भारत संघ द्वारा प्रस्तुतियाँ रक्षा मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका से विमुख होती हैं।

बाबिता पुणे

जो 1992 में शामिल होने के बाद से महिला एस. एस. सी. कमीशन अधिकारियों द्वारा खेला जा रहा है। यह महसूस करने का समय आ गया है कि सेना में महिला अधिकारी पुरुष प्रधान प्रतिष्ठान की सहायक नहीं हैं, जिनकी उपस्थिति को संकीर्ण सीमाओं के भीतर "बर्दाश्त" किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार का सभी दस धाराओं में महिला एस. एस. सी. अधिकारियों के लिए पी. सी. का विस्तार करने का मुख्य निर्णय, जिसमें वे कमीशन प्राप्त करती हैं, सेना में महिलाओं के समान अवसर के अधिकार को मान्यता देने और महसूस करने की दिशा में एक कदम आगे है। यह मौलिक संविधान को साकार करने की दिशा में एक कदम है। महिलाओं की समानता और गरिमा के प्रति प्रतिबद्धता। [पैरा 57]

[875 - ए-ई]

8.2 . न्यायालय उन सीमाओं के प्रति सचेत हैं जो नीति के प्रश्न संबंधित मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप पर लागू करते हैं -

सशस्त्र बल। साथ ही, सभी महिला एस. एस. सी. अधिकारियों तक विस्तार करने के केंद्र सरकार के एक प्रमुख निर्णय का सामना करना पड़ा पी. सी. देने का विकल्प और दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्देशों को लागू न करने के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वर्तमान मामले में हस्तक्षेप न करना न्याय के उपहास से कम नहीं होगा। [पैरा 66] [878-जी-एच; 879-ए-बी]

भारत संघ बनाम। पी के चौधरी [2016] 2 एस. सी. आर. 426-प्रतिष्ठित।

पी. सी. अनुदान के लिए महिला एस. एस. सी. अधिकारियों का मूल्यांकन। ए. प्रस्ताव में उन महिला अधिकारियों के बीच अंतर किया गया है जो चौदह साल से कम समय से सेवा में हैं।

और उससे परे। प्रस्ताव में परिकल्पना की गई है कि केवल चौदह वर्ष से कम की सेवा वाली महिला अधिकारियों को ही

पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किया गया। इस प्रस्ताव की शर्तों के तहत, चौदह साल से अधिक लेकिन बीस साल से कम की सेवा वाली महिला अधिकारी तब तक जारी रखेंगी जब तक कि वे बीस साल की पेंशन योग्य सेवा प्राप्त नहीं कर लेती हैं, बिना पीसी के अनुदान के। जिन महिला अधिकारियों ने बीस साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पेंशन मिलने पर तुरंत सेवा से छुट्टी दे दी जाएगी। इस प्रस्ताव की इस आधार पर अदालत में स्वीकृति के लिए सराहना की गई है कि यह चौदह साल की सेवा को पार करने वाली महिला अधिकारियों को पेंशन लाभ, [2020] 3 एस. सी. आर. प्राप्त करने की अनुमति देता है।

जहाँ ऐसा लाभ अन्यथा उन्हें उपलब्ध नहीं होगा। [पैरा 58] [875-ई-एच]

9.2 . इस भेद में मौलिक भ्रांति है जिसे कम संख्या वाली महिला अधिकारियों के बीच आकर्षित करने की कोशिश की गई है

चौदह से बीस वर्ष और बीस वर्ष से अधिक की सेवा वाले लोगों के साथ चौदह वर्ष से अधिक की सेवा। उच्च न्यायालय के फैसले की तारीख को लगभग एक दशक बीत चुका है। केंद्र सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए कर्तव्यबद्ध थी, क्योंकि इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान फैसले पर रोक नहीं लगाई गई थी। फैसले को लागू करने में विफल रहने के बाद, केंद्र सरकार ने अब अदालत को सूचित किया है कि वह उन महिला अधिकारियों पर विचार नहीं करेगी जिन्होंने सेवा में चौदह वर्ष की आयु पार कर ली है। चौदह वर्ष से अधिक सेवा वाली महिला अधिकारियों की यह स्थिति स्पष्ट रूप से इसके परिणामस्वरूप सामने आई है। न केवल उच्च न्यायालय के निर्देशों का, बल्कि 2 सितंबर 2011 को इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का भी पालन करने में केंद्र सरकार की विफलता। मामले के इस दृष्टिकोण में, एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को इस आधार पर पी. सी. के अनुदान से वंचित करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है कि उन्होंने चौदह साल की सेवा पार कर ली है। उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने में सरकार की विफलता ने महिला अधिकारियों के प्रति अपूरणीय पूर्वाग्रह पैदा कर दिया है। अब मुड़ना और उन्हें सूचित करना कि वे पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किए जाने का अधिकार खो देंगे, न्याय का उपहास होगा। इसलिए, एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को, चौदह साल की सेवा और उससे आगे की अवधि के भीतर, पी. सी. के अनुदान के लिए समान रूप से विचार करने का हकदार होना चाहिए। [पारस 59 और 60] [876-ए-जी]

10. केंद्र सरकार द्वारा 25 फरवरी 2019 को लिया गया नीतिगत निर्णय इंगित करता है कि यह लागू होना है

उन महिला अधिकारियों के लिए आवेदन करें जिन्हें निर्णय की तारीख के बाद एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने इसे इस तरह से लागू नहीं किया है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि निर्णय में विचार किया गया है कि महिला अधिकारी जो पहले से ही सेवा में हैं लेकिन चौदह वर्ष से कम आयु की हैं, वे होने की हकदार होंगी

विचार किया। इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि नीतिगत निर्णय रक्षा मंत्रालय v.

उन्हें। [पैरा 61] [876-एफ-एच; 877-ए-बी] 11. नीतिगत निर्णय का अगला पहलू महिला अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंध से संबंधित है।

कर्मचारियों की नियुक्तियों को छोड़कर पीसी दिए गए हैं। इस तरह का प्रतिबंध तब नहीं लगाया गया था जब जे. ए. जी. और ए. ई. सी. शाखाओं को महिला एस. एस. सी. अधिकारियों के लिए पी. सी. के अनुदान के लिए खोला गया था।

अतीत। इसका परिणाम, सेना द्वारा एक अंतर्निहित स्वीकृति है कि महिलाएं, कुछ स्थितियों में, मानदंड या कमान नियुक्तियां प्राप्त कर सकती हैं। मानदंड या कमान नियुक्तियों की मांग करने वाली महिलाओं पर एक पूर्ण प्रतिबंध अनुच्छेद 14 के तहत समानता की गारंटी के अनुरूप नहीं होगा। समानता की गारंटी में निहित है कि जहां राज्य की कार्रवाई दो वर्गों के व्यक्तियों के बीच अंतर करती है, वह उन्हें अनुचित या तर्कहीन तरीके से अलग नहीं करती है। इस मायने में, अपने न्यूनतम स्तर पर भी, समानता का अधिकार तर्कसंगतता का अधिकार है। जहां राज्य, और इस मामले में राज्य की एक साधन के रूप में सेना, महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर करती है, तो सेना पर इस तरह के भेदभाव को उचित ठहराने का बोझ पूरी तरह से पड़ता है। महिला एस. एस. सी. अधिकारियों को कर्मचारियों की नियुक्तियों के अलावा कुछ भी प्राप्त करने पर पूर्ण प्रतिबंध स्पष्ट रूप से सेना में कैरियर की उन्नति के साधन के रूप में पी. सी. देने के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। क्या किसी विशेष उम्मीदवार को कोई मानदंड या कमान सौंपा जाना चाहिए या नहीं, यह सक्षम प्राधिकारी के लिए सेवा, प्रदर्शन और संगठनात्मक आवश्यकताओं की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार करने का विषय है। वर्तमान मामले में सेना ने अपना बोझ उठाने का कोई औचित्य नहीं दिया है कि किसी भी मानदंड या कमान नियुक्तियों के लिए महिलाओं पर विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। पुरुष एस. एस. सी. अधिकारियों के लिए कमांड असाइनमेंट स्वचालित नहीं हैं जो हैं

पी. सी. दिया गया और यह महिलाओं के लिए भी स्वचालित नहीं होगा। कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी में महिलाओं का पूर्ण बहिष्कार

अक्षम्य कार्य। यदि सेना के पास महिलाओं को किसी विशेष मानदंड या कमान से बाहर रखने के ठोस कारण हैं

और यदि आवश्यक हो, तो भविष्य की अदालतों में। हालांकि, इस तरह का एक औचित्य किसी विशेष नियुक्ति की आवश्यकताओं और अनिवार्यताओं के आलोक में मामला-दर-मामला आधार पर होना चाहिए।

मानदंड या कमान नियुक्तियों के लिए महिलाओं पर विचार न करना सेना द्वारा एक व्यक्तिगत औचित्य के अभाव में

कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, पैराग्राफ 5 में "केवल विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्तियों में" और "कर्मचारियों पर" अभिव्यक्ति है। केवल नियुक्तियाँ "दिनांकित संचार के पैराग्राफ 6 में

25 फरवरी 2019 को लागू नहीं किया जाएगा। [पारस 67 और 68] [879-बी-एच; 880-ए-बी]

12. एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को पी. सी. देने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय

उन सभी दस धाराओं में जहां महिलाओं को भारतीय सेना में एस. एस. सी. प्रदान किया गया है, स्वीकार किया जाता है, बशर्ते किः (क) एस. एस. सी. में सभी सेवारत महिला अधिकारियों को पी. सी. अनुदान के लिए विचार किया जाएगा। चाहे उनमें से कोई भी चौदह वर्ष या, जैसा भी मामला हो, बीस वर्ष की सेवा को पार कर चुका हो; (ख) वर्तमान में एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में सेवा में कार्यरत सभी महिलाओं को विकल्प दिया जाएगा; (ग) एस. एस. सी. में चौदह वर्ष से अधिक सेवा वाली महिला अधिकारी जो पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किए जाने का विकल्प नहीं चुनती हैं, वे बीस वर्ष की पेंशन योग्य सेवा प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने की हकदार होंगी; (घ) एक बार के उपाय के रूप में, पेंशन योग्य सेवा प्राप्त होने तक सेवा में बने रहने का लाभ उन सभी मौजूदा एस. एस. सी. अधिकारियों पर भी लागू होगा जिनकी चौदह वर्ष से अधिक सेवा है, जिन्हें पी. सी. पर नियुक्त नहीं किया गया है; (ङ) "केवल पैरा 5 में" और "केवल कर्मचारी नियुक्तियों पर" अभिव्यक्ति महिला एस. एस. सी. अधिकारी अपने पुरुष समकक्षों के समान शर्तों पर पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किए जाने के लिए अपने विकल्पों का उपयोग करने की हकदार होंगी। एस. एस. सी. महिला अधिकारी जिन्हें उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में पी. सी. प्रदान किया गया है, वे पदोन्नति और वित्तीय लाभों सहित सभी परिणामी लाभों की हकदार होंगी। हालांकि, ये लाभ उन अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे जो सेवा में हैं या जिन्होंने रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का रुख किया था और जो कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे। [पैरा 69] [880-डी-एच; 881-ए-ई] सचिव, रक्षा मंत्रालय v.

बाबिता पुणे

मामला कानून संदर्भ

[2016] 2 एससीआर 426

प्रतिष्ठित

पैरा 28

(iv)

[1964] 5 एससीआर 931

संदर्भित किया गया है

पैरा 45

[1983] 1 एससीआर 393

संदर्भित किया गया है

पैरा 46

[1983] 3 एससीआर 60

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 9367

9369 2011 से।

उच्च न्यायालय के 12.03.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से

नई दिल्ली में दिल्ली का डब्ल्यू. पी. (ग) संख्या। 1597 2003 का, 2006 का 16010 और 2008 का 9028।

के साथ

सिविल अपील सं। 1127-1128 2013 का, 2020 का 1210।

तुषार मेहता, एसजी, संजय जैन, एएसजी, आर. बालासुब्रमण्यम,

गोस्वामी, सेलेस्ट अग्रवाल, नितिन पावुलुरी, सुश्री अर्चना पाठक दवे, सुश्री अदिति त्रिपाठी, सुश्री सिंदूरा वी. एन. एल., सुश्री कांति, श्रीधर पोटाराजू, सुश्री श्वेता परिहार, सुश्री शिवानी तुशीर, सुश्री जी. उशारी, विष्णु तुलसी मेनन, मो. अली, निखिल गोयल, सुश्री नवीन गोयल, दुष्यंत सरना, विनय मैथ्यू (संतोष कृष्णन के लिए), सुश्री अरुणिमा द्विवेदी, अरविंद कुमार शर्मा, हरीश पांडे, मुकेश कुमार मरोरिया, सुधांशु शेखर

पांडे, गैचांगपोउ गंगमेई, अभिषेक आर. शुक्ला, अर्जुन डी. सिंह, अनंत विजय पल्ली, सुश्री गरिमा सचदेवा, निखिल पल्ली, दीपक गोयल, अनिल कुमार बख्शी, सुश्री मीनाक्षी लेखी, हरीश पांडे, जितेंद्र कुमार। त्रिपाठी, आलोक के. पांडे, संचार आनंद, अनंत के. वात्स्या, देवेंद्र सिंह, दीपक गोयल, विवेक नारायण शर्मा, जसदीप सिंह, प्रज्ञान मिश्रा, शुभम अवस्थी, आकाश शर्मा, राजीव कुमार झा, सुश्री सुमन रानी, संतोष कृष्णन, बीवी बलराम दास, सुश्री पूजा धर, सुश्री हरिप्रिया। पद्मनाभन, सुरतांजय भारद्वाज, विशाल सिन्हा, सुश्री सुनीता ओझा, मयंक त्रिपाठी, सुश्री मोनिशा हांडा, मोहित डी. राम, सचिन कौशल, सुश्री लिज़ मैथ्यू, नवनीत आर., सुश्री सोनाली जैन, अनुपम रैना, मनिंदर जीत सिंह, हितेश कुमार शर्मा, अखिलेश्वर झा, सुश्री बेंदु सिंह, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

20] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

सूचकांक

विवाद की पृष्ठभूमि

B. भारत संघ का प्रस्ताव

सी प्रस्तुतियाँ

डी 25 फरवरी 2019 के नीति पत्र का परिणाम

ई रूढ़िवादी और सशस्त्र बलों में महिलाएं

एफ गैर-अनुपालन का परिणाम

जी मानदंड नियुक्तियों पर कंबल प्रतिबंध

एच दिशाएँ

विवाद की पृष्ठभूमि

1. भारतीय सेना में स्थायी कमीशन 1 की मांग करने वाली महिलाओं के लिए अवसर की समानता की खोज इन अपीलों का आधार है। द. प्रमुख अपील की उत्पत्ति रिट याचिकाओं के एक समूह में हुई थी जिन्हें स्थापित किया गया था

2003 और 2006 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष।

2. मुकदमेबाजी में एक दशक और उससे अधिक समय बिताने के बाद, सेना में अल्पकालिक सेवा आयोग 2 में लगी महिलाएं अपने पुरुषों के साथ समानता चाहती हैं

पीसी प्राप्त करने में समकक्ष। सेना में महिलाओं के प्रवेश का एक उतार-चढ़ाव वाला इतिहास रहा है। सेना अधिनियम 1950 3 की धारा 12 में, जहां तक यह सामग्री है, निम्नलिखित प्रावधान हैं:

" 12. नामांकन या रोजगार के लिए महिलाओं की अयोग्यता। - नहीं।

महिला ऐसी कोर, विभाग, शाखा या अन्य निकाय को छोड़कर नियमित सेना में नामांकन या रोजगार के लिए पात्र होगी।

नियमित सेना का हिस्सा बनाना या उसके किसी भी हिस्से से जुड़ा होना, जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती है,

इस संबंध में निर्दिष्ट करें "।

3. धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार, केंद्र सरकार ने 30 जनवरी 1992 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें महिलाओं को महिला बनाया गया। 1 " पीसी "

2 " एसएससीएस "

3 " 1950 ऐक्ट "

4 एस. आर. ओ.-11 सचिव, रक्षा मंत्रालय v. बाबिता पुणे [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

विशिष्ट शाखाओं/संवर्गों में अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र

सेना। ये थेः

" (i) सेना डाक सेवा;

((ii) न्यायाधीश महाधिवक्ता विभाग;
((iii) सेना शिक्षा कोर;

(iv) सेना आयुध कोर (केंद्रीय गोला-बारूद डिपो और

सामग्री प्रबंधन); और

(v) सेना सेवा कोर (खाद्य वैज्ञानिक और खानपान अधिकारी)।

यह अधिसूचना पांच साल की अवधि के लिए लागू रहने वाली थी।

जिस तारीख से इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। एस. आर. ओ.-11 राजपत्र में 15 फरवरी 1992 को प्रकाशित हुआ था।

4. 31 दिसंबर 1992 की एक अधिसूचना द्वारा, महिलाएं नियमित सेना के निम्नलिखित कोर/विभागों में नामांकन के लिए पात्र हो गईंः

((ii) खुफिया कोर,
(iii) कोर ऑफ इंजीनियर्स,

(iv) कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
(v) तोपखाने की रेजिमेंट "।

5. महिलाओं को पांच साल की प्रारंभिक अवधि के लिए शामिल करने का प्रावधान 12 दिसंबर 1996 की एक अधिसूचना द्वारा बढ़ाया गया था।

वर्षों से। 6. 28 अक्टूबर 2005 को रक्षा मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना 8 जारी की गई थी जिसके द्वारा केंद्र सरकार ने इस योजना की वैधता को बढ़ा दिया था।

भारतीय सेना में अधिकारियों के रूप में महिलाओं की नियुक्ति। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, 15 फरवरी 1992 की पिछली अधिसूचना में चार संशोधन किए गए थेः

5 एस. आर. ओ.-1,23 जनवरी 1993 को राजपत्र में प्रकाशित 6 एस. आर. ओ.-10 (ई) 7 " रक्षा मंत्रालय 8 एस. आर. ओ.-121,19 नवंबर 2005 [2020] 3 एस. सी. आर. को राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

महिलाओं के तहत शामिल महिला अधिकारियों का कार्यकाल

(1)

अधिसूचनाओं के तहत विशेष प्रवेश योजना (अधिकारी) दिनांक 15 फरवरी 1992,23 जनवरी 1993 और 12 दिसंबर

1996 1997 से पाँच साल के लिए बढ़ाया गया था;

((ख)

एसएससी पुरुष अधिकारियों और डब्ल्यू. एस. ई. एस. अधिकारियों का कार्यकाल था

चौदह वर्ष तक बढ़ाया गया;

डब्ल्यू. एस. ई. एस. को इसके परिणामस्वरूप लागू करना बंद करना था

(iii)

15 फरवरी 1992,23 जनवरी 1993 और 12 दिसंबर 1996 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कोर/सेवाओं में एस. एस. सी. के माध्यम से किन महिला अधिकारियों को शामिल किया जाना था;

और

(iv) एस. एस. सी. के पुरुष और महिला दोनों अधिकारियों को "जैसा कि पी. सी. अधिकारियों पर लागू होता है" पर्याप्त पदोन्नति दी जानी थी।
7. शुरू में, जब डब्ल्यू. एस. ई. एस. को एक सेना के तहत अधिसूचित किया गया था

निर्देश 1 0, यह सगाई की शर्तों द्वारा शासित था। टी. ओ. ई. के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि कमीशन सेना सेवा कोर, सेना आयुध कोर, सेना शिक्षा कोर 1212 और न्यायाधीश महाधिवक्ता विभाग 1,3 में पांच साल की अवधि के लिए होगा। पैरा 12 में विचार किया गया है कि

कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के सफल समापन पर, 'महिला कैडेटों' को द्वितीय लेफ्टिनेंट के पद पर पी. सी. प्रदान किया जाएगा, लेकिन उन्हें भारतीय सैन्य अकादमी से उत्तीर्ण होने वाले अन्य उम्मीदवारों से जूनियर रखा जाएगा और उसी तारीख से उन्हें नियमित कमीशन दिया जाएगा। पैरा 19 में विचार किया गया है किः

" 19. कमीशन की समाप्ति पर निपटानः कमीशन की संविदात्मक अवधि यानी कमीशन देने की तारीख से पांच साल की कमीशन सेवा समाप्त होने पर, उन्हें आयोग से मुक्त कर दिया जाएगा।

सेवा करते हैं। अधिकारियों को इस सेना के तहत कमीशन दिया गया

निर्देश को स्थायी कमीशन या कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। कमीशन की गई सेवा के पांच साल से आगे का विस्तार।

8. मूल टी. ओ. ई. में पाँच साल की संविदात्मक अवधि का प्रावधान था जिसके बाद अधिकारियों को सेवा से मुक्त किया जाना था। अधिकारियों ने

जिन्हें सेना के निर्देश के तहत कमीशन दिया गया था, वे पी. सी. या पाँच साल की कमीशन सेवा से परे किसी भी विस्तार के हकदार नहीं थे।

9 "डब्ल्यू. एस. ई. एस"

12 " एईसी "

13 " जे. ए. जी. "द सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस v. बाबिता पुणे [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

9. 1 अगस्त 1996 को डब्ल्यू. एस. ई. एस. के लिए एक संशोधन जारी किया गया था, जिसके तहत पांच साल की प्रारंभिक अवधि के लिए आयोग बनाया गया था।

तोपखाने की रेजिमेंट, कोर ऑफ आर्टिलरी में पांच साल तक आगे बढ़ाया जा सकता है

इंजीनियर, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डनेंस कॉर्प्स, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, एईसी, इंटेलिजेंस कॉर्प्स और जेएजी विभाग। जिन महिलाओं को पांच साल की प्रारंभिक अवधि के लिए कमीशन दिया गया था, उन्हें पांच साल तक विस्तार या रिहाई का विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक था। दो साल के बाद लेफ्टिनेंट के पद पर और पांच साल के बाद कैप्टन के पद पर पर्याप्त आधार पर पदोन्नति का प्रावधान किया गया था। पांच साल की संविदात्मक अवधि पूरी होने पर सेवा से रिहाई के लिए पूर्ववर्ती सेना निर्देश 1 4 के पैरा 19 में निहित प्रावधान को निम्नलिखित प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया थाः

" 19. कमीशन की समाप्ति पर निपटान। कमीशन की संविदात्मक अवधि समाप्त होने पर, जैसे भी मामला हो, कमीशन देने की तारीख से पाँच साल/दस साल, उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। सेना के इन निर्देशों के तहत जिन अधिकारियों को कमीशन दिया जाएगा, उन्हें स्थायी कमीशन नहीं दिया जाएगा।

10. उपरोक्त कथन से जो स्थिति सामने आती है वह यह है कि जब सेना में महिलाओं को शामिल करने की परिकल्पना की गई थी

15 फरवरी 1992 से निर्धारित शाखाओं और संवर्गों में नियुक्ति का कार्यकाल पांच साल था। पाँच साल की उपरोक्त शर्त को 12 दिसंबर 1996 को हटा दिया गया था। 19 नवंबर 2005 को रक्षा मंत्रालय ने प्रावधान किया कि डब्ल्यू. एस. ई. एस. अधिकारियों का कार्यकाल चौदह तक बढ़ाया जाएगा।

वर्षों से। सेना के निर्देश व्यापक रूप से उसी पाठ्यक्रम का पालन करते थे, जिसके परिणामस्वरूप सेवा की अवधि पर एक सीमा लागू की गई थी।

11. चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं (पहले उत्तरदाता के अलावा, जो सेना अधिकारी नहीं हैं) को सेना में एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में चुना गया था। 1995-96 से शुरू होता है।

12. फरवरी 2003 में, बबीता पुनिया, एक अधिवक्ता ने जनहित याचिका की प्रकृति में एक रिट याचिका दायर की।

सेना में महिला एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. प्रदान करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय।

14 साई सं. 1/5/92 15 2003 का डब्ल्यू. पी. (सी) 1597

13. कार्यवाही के दौरान, 20 जुलाई 2006 को दो परिपत्र जारी किए गए थे, जिसमें महिला अधिकारियों को तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों पक्षों में एस. एस. सी. के अनुदान के संबंध में भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई थी। प्रशिक्षण की अवधि पुरुष एस. एस. सी. अधिकारियों के बराबर चालीस-नौ सप्ताह निर्धारित की गई थी। इन परिपत्रों में व्यापक प्रावधान थे

अन्य बातों के अलावा, कार्यकाल, महत्वपूर्ण पदोन्नति और वरिष्ठता के समायोजन से संबंधित। सेवारत डब्ल्यू. एस. ई. एस. अधिकारियों को नई एस. एस. सी. योजना में जाने या पूर्ववर्ती डब्ल्यू. एस. ई. एस. के तहत जारी रखने का विकल्प दिया गया था। नई योजना के तहत महिला अधिकारियों के पहले बैच ने प्रवेश किया 2008 में सेना। नियम और शर्तों में, पैरा 1 (ए) निम्नलिखित शर्तों में कार्यकाल के लिए प्रदान किया गया हैः

" (क) अल्पकालिक सेवा आयोग का कार्यकालः नियमित सेना में तकनीकी अल्पकालिक सेवा आयोग (एस. एस. सी.) प्रदान किया जाएगा।

14 वर्षों के लिए अर्थात दस वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए जिसे आगे चार वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

14. पैरा 1 (सी) ने एक विशेष पाठ्यक्रम वाली महिलाओं के अलावा नई शामिल की गई महिला अधिकारियों को पांच पूर्ण करने के बाद सेवा छोड़ने में सक्षम बनाया।

सेवा के वर्ष। निम्नलिखित शर्तों में पैरा (ई) में पर्याप्त पदोन्नति प्रदान की गई थीः

" (ई) महत्वपूर्ण संवर्धनः इन नियमों के तहत अल्पकालिक सेवा आयोग प्राप्त करने वाली महिलाएं मूल लाभ के लिए पात्र होंगी।

पदोन्नति निम्नानुसार हैः

(ii) मेजर के पद तक-6 साल की गणना योग्य कमीशन सेवा के पूरा होने पर। ((iii) एल. टी. कर्नल के पद तक-13 वर्ष पूरे होने पर

नियुक्त सेवा "।

" (छ) वरिष्ठता का समायोजनः कम समय के लिए समायोजन करने के लिए एस. एस. सी. महिला अधिकारियों बनाम पी. सी. अधिकारियों का प्रशिक्षण, वरिष्ठता

एस. एस. सी. महिला अधिकारी इस अवधि तक उदास हो जाएंगी।

विचाराधीन एस. एस. सी. पाठ्यक्रम और इसके समकक्ष पी. सी. पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि के बीच प्रशिक्षण अवधि में अंतर के अनुरूप। वरिष्ठता का यह समायोजन कप्तान के प्रथम मूल पद के अनुदान के समय किया जाएगा।

संशोधित वरिष्ठता का वेतन और भत्ते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कैप्टन के पद पर प्रदान किया गया। मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल "।

पैरा 2-डब्ल्यू. एस. ई. एस. के तहत सेवारत अधिकारियों को छह महीने के भीतर एस. एस. सी. योजना का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई है।

माना जाएगा कि उन्होंने पूर्ववर्ती योजना के तहत जारी रखने के विकल्प का प्रयोग किया होगा। पैरा 4 में निम्नलिखित शर्त थीः

" 4. पैरा 18 और एस. ए. आई. 1/एस./92 को छोड़कर ए. आई. 1/93 के अन्य सभी प्रावधान, जैसा कि संशोधित किया गया है, एस. एस. सी. (महिला) (टेक) के लिए अलग ए. आई. जारी करने के अधीन एस. एस. सी. प्रदान की गई महिलाओं पर लागू होंगे। ”

नतीजतन, एस. ए. आई.-1/एस./1992 में निहित अन्य सभी प्रावधान उन महिलाओं पर उत्परिवर्तन लागू करने के लिए थे जिन्हें एस. एस. सी. प्रदान किया गया था। 15. दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जनहित याचिका के अलावा, मेजर लीना गुरव द्वारा 16 अक्टूबर 2006 को एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से 20 जुलाई 2006 के परिपत्रों द्वारा लगाए गए सेवा के नियमों और शर्तों को चुनौती दी गई थी और महिला अधिकारियों के लिए पीसी के अनुदान की मांग की गई थी।

16. 26 सितंबर 2008 को, रक्षा मंत्रालय ने जे. ए. जी. में एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को संभावित रूप से पी. सी. के अनुदान की परिकल्पना करते हुए एक परिपत्र जारी किया।

विभाग और ए. ई. सी. मेजर संध्या यादव और अन्य लोगों ने इस परिपत्र को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह केवल संभावित रूप से और केवल कुछ निर्दिष्ट कैडरों को पीसी प्रदान करता है। 17. दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। 12 मार्च 2010 के एक निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किएः

" 61 .....
आई. महिला अधिकारियों की भर्ती के लिए संचालन के क्षेत्रों में अवशोषण के दावे को कायम नहीं रखा जा सकता है।

नीतिगत निर्णय।

ii. पीसी टू शॉर्ट सर्विस की पेशकश नहीं करने का नीतिगत निर्णय

पुरुषों और महिलाओं के लिए कमीशन प्राप्त अधिकारी समानता पर हैं और मानव शक्ति प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में एक नीतिगत निर्णय है जिसकी आवश्यकता नहीं है

हस्तक्षेप किया।

iii. वायु सेना की अल्पकालिक सेवा से कमीशन प्राप्त महिला अधिकारी जिन्होंने पी. सी. का विकल्प चुना था और जिन्हें पी. सी. नहीं दिया गया था, लेकिन एस. एस. सी. और सेना का विस्तार दिया गया था, वे सभी परिणामी लाभों के साथ पुरुष अल्पकालिक सेवा से कमीशन प्राप्त अधिकारियों के बराबर पी. सी. की हकदार हैं। यह होगा लाभ

नीति परिवर्तन से पहले भर्ती की गई महिला अधिकारियों को जैसा कि (ii) ऊपर कहा गया है, प्रदान किया जाता है। पाँच वर्ष पूरा होने के बाद उन्हें स्थायी आयोग की पेशकश की जाएगी। वे पदोन्नति और अन्य वित्तीय लाभों जैसे सभी परिणामी लाभों के भी हकदार होंगे। हालांकि, उपरोक्त लाभ केवल सेवा में महिला अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने हैं या जिन्होंने इन याचिकाओं को दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं।

iv. यह स्पष्ट किया जाता है कि वे महिला अधिकारी जिन्होंने स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए उपलब्ध सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं की है, उन्हें सेवा में बहाल किया जाएगा और उन्हें सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाएंगे जिनमें शामिल हैं -

पदोन्नति, आदि, अवधि के लिए वेतन और भत्ते को छोड़कर

वे सेवा में नहीं रहे हैं।

वित्तीय लाभ जारी करने सहित आवश्यक कदम

वी.

अधिकारियों द्वारा दो (2) महीनों के भीतर किया जाएगा।

इस आदेश को पारित करना "।

इस स्तर पर, उपरोक्त पर संक्षेप में ध्यान देना उचित होगा।

दिशा निर्देश। 18. खंड (i) में परिकल्पना की गई है कि सशस्त्र बलों के "संचालन के क्षेत्रों" को बाहर रखा गया है जहां महिला अधिकारियों की भर्ती नहीं की जाती है।

उच्च न्यायालय के निर्णय के दायरे से इस आधार पर कि यह नीति का विषय है। महिलाओं को युद्ध अभियानों से बाहर रखा गया है। यह अपवर्जन जिसमें उपरोक्त निर्देश (i) में इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया गया है कि यह नीति का विषय है, वर्तमान अपीलों में विवाद का विषय नहीं है। निर्देश (ii) में परिकल्पना की गई है कि जहां एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. की पेशकश नहीं करने का नीतिगत निर्णय लिया गया है- पुरुष और महिला दोनों को श्रमशक्ति के एक हिस्से के रूप में भेदभाव के बिना।

प्रबंधन, इस तरह के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया गया था। दिशा.

(iii) यह परिकल्पना की गई है कि एस. एस. सी. पर वायु सेना और सेना की महिला अधिकारी जिन्होंने पी. सी. अनुदान का विकल्प चुना था, लेकिन उन्हें यह दर्जा नहीं दिया गया था, वे सभी परिणामी लाभों के

साथ पुरुष एस. एस. सी. अधिकारियों के बराबर पी. सी. की हकदार होंगी। सचिव, रक्षा मंत्रालय V के पूरा होने के बाद उन्हें पी. सी. की पेशकश की जानी थी।

बाबिता पुणे [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पदोन्नति और अन्य वित्तीय लाभों के परिणामी लाभों के साथ पांच वर्षों की अवधि। हालाँकि, यह लाभ केवल सेवा में उन महिला अधिकारियों के लिए उपलब्ध था जिन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की थी और रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हुई थीं। निर्देश (iv) द्वारा यह परिकल्पना की गई थी कि जिन महिला अधिकारियों ने पीसी अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं की थी, उन्हें सभी के साथ बहाल किया जाएगा। परिणामी लाभ।

19. उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करते हुए, भारत संघ है

अपील में। अपीलों का वर्तमान बैच भारतीय सेना से संबंधित है। द.

भारतीय वायु सेना के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश इन अपीलों में विवाद का विषय नहीं हैं।

20. प्रतिवादियों द्वारा अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई थी

भारत संघ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का पालन न करने का आरोप लगाया। 2 अगस्त 2010 को, भारत के सॉलिसिटर जनरल ने इस अदालत के समक्ष एक बयान दिया कि "सेवा में महिला एस. एस. सी. अधिकारियों को दो महीने के भीतर सेना की जे. ए. जी. और शिक्षा शाखा में स्थायी कमीशन देने के लिए विचार किया जाएगा।" इस अदालत के समक्ष दिए गए बयान को देखते हुए, अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। एक द्वारा

4 अक्टूबर 2010 के आदेश, 2 अगस्त 2010 के आदेश के अनुपालन का समय 1 दिसंबर 2010 तक बढ़ा दिया गया था।

21. 11 जनवरी 2011 को, इस न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए स्वीकार किया

एस. सी. सी. महिला अधिकारियों को पी. सी. प्रदान करने से संबंधित प्रश्न पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित एक 'उच्चाधिकार प्राप्त समिति' को सक्षम बनाने और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट पर विचार करने में सक्षम बनाने के लिए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की छह सप्ताह के स्थगन की प्रार्थना। इस दौरान

कार्यवाहियों की लंबितता, अभियोग के लिए आवेदनों को 4 मार्च 2011 को अनुमति दी गई थी और द्वारा पारित रिहाई आदेशों के संचालन की अनुमति दी गई थी

19 जनवरी 2011 को भारत संघ पर रोक लगा दी गई थी। 2 सितंबर 2011 को, इस न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में सेना में पुनः नियुक्ति के लिए ग्यारह आवेदकों द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार किया। आवेदन पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा किः

" इस न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय के रूप में जिस पर रोक लगाई गई है, वह है -

मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा शुरू की गई अवमानना

विशेष अनुमति याचिकाओं में याचिकाकर्ता। का संचालन

विवादित फैसले पर बिल्कुल भी रोक नहीं लगाई गई है।

(जोर दिया गया)

यह स्पष्ट किया गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर कोई रोक जारी नहीं की गई है। इसलिए, ग्यारह आवेदकों को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में पुनः नियुक्त करने की अनुमति दी गई, बशर्ते अपील का परिणाम सामने आए। आखिरकार, 2 सितंबर 2011 को छुट्टी दे दी गई। अपील के लंबित रहने के दौरान, 24 अप्रैल 2012 को, इस न्यायालय ने अभियोग आवेदनों की अनुमति दी और 10 अप्रैल को जारी करने के आदेश पर रोक लगा दी।

2012. नतीजतन, आवेदकों को नियमित वेतन और अन्य परिलब्धियों का हकदार माना गया, जो वे वर्तमान में प्राप्त कर रहे थे।

धारण करें। 12 जुलाई 2013 को अदालत द्वारा इसी तरह के आदेश पारित किए गए थे।

B. भारत संघ का प्रस्ताव

22. इस अपील के लंबित रहने के दौरान, रक्षा मंत्रालय में केंद्र सरकार ने अनुदान के लिए 25 फरवरी 2019 को एक पत्र जारी किया

जे. ए. जी. और ए. ई. सी. के अलावा, जो पहले पी. सी. के लिए खोले गए थे, सेना की आठ शाखाओं या सेवाओं में एस. एस. सी. महिला अधिकारियों के लिए पी. सी.। संचार में कहा गया है किः

" एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी दी जाती है।

भारतीय सेना में आठ हथियार/सेवाएँ। सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल
न्यायाधीश महाधिवक्ता (जे. ए. जी.) और सेना शिक्षा कोर (ए. ई. सी.) की मौजूदा दो धाराओं के अलावा इंजीनियर (ई. एम. ई.), सेना सेवा कोर, सेना आयुध कोर और खुफिया। इस प्रकार महिलाओं को उन सभी दस धाराओं में पी. सी. अनुदान के लिए विचार किया जाएगा जिनमें उन्हें वर्तमान में एस. एस. सी. अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

संचार में आगे कहा गया है किः

((i)

महिला अधिकारियों को नियुक्त किया जाना जारी रहेगा

ऊपर उल्लिखित दस हथियार/सेवाएँ जो पहले नहीं थीं

एस. एस. सी. नियुक्ति के उनके कार्यकाल में परिवर्तन;

तीन साल पूरे होने पर और पूरा होने से पहले

((ख)

चार साल की कमीशन सेवा के लिए, उन्हें पीसी के अनुदान और विशेषज्ञता के विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

(iii)

एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को अनुदान के लिए विचार किया जाएगा

रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर और इच्छा, उपयुक्तता, प्रदर्शन, चिकित्सा फिटनेस और

प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता; रक्षा मंत्रालय v.

इटा पुणे [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

((iv)

विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्तियाँ केवल उनके अनुसार योग्यता, व्यावसायिक अनुभव, विशेषज्ञता, यदि कोई हो,

और संगठनात्मक आवश्यकताएँ;

(v)

जबकि जिन महिला अधिकारियों को पी. सी. दिया गया है, वे जारी रखेंगी।

अपनी मूल सेना/सेवा का हिस्सा बनने के लिए, वे सेवा करेंगे।

केवल कर्मचारियों की नियुक्तियों पर "दोनों मूल सेना के भीतर /

सेवा और विशेषज्ञता के अन्य क्षेत्रों में;

चयनित रैंकों में कैरियर की आगे की प्रगति इसके भीतर होगी।

(vi)

सेना में अधिकारियों की मौजूदा अधिकृत संख्या

और कोई अतिरिक्त चयनित रैंक रिक्तियां नहीं बनाई जाएंगी;

(vii) जो महिला अधिकारी पीसी के विकल्प का उपयोग करने में विफल रहती हैं, वे

उन नियमों और शर्तों द्वारा शासित किया जाए जिनके तहत वे नियुक्त किए गए थे; और

(viii) यह नीति संभावित रूप से लागू होगी -

पत्र जारी करने की तिथि।

25 फरवरी 2019 का संचार नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" नीति पत्र दिनांक 25 फरवरी 2019

एफ. संख्या 14 (01)/2018-डी (एजी)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली,

दिनांक 25 फरवरी, 2019

को।

सेनाध्यक्ष, नई दिल्ली

विषयः अल्पकालिक सेवा के लिए स्थायी आयोग भारतीय सेना में कमीशन (एस. एस. सी.) महिला अधिकारी।

यह रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 12 (01)/2004 की निरंतरता में है।

डी (एजी) पं. सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल करने और अल्पकालिक सेवा आयोग (एस. एस. सी.) महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन (पी. सी.) देने के संबंध में द्वितीय दिनांक 26.09.2008 और पत्र संख्या 671/2009-(ए. जी.) दिनांक 11.11.2011।

2. राष्ट्रपति की मंजूरी इसके लिए दी जाती है -

न्यायाधीश महाधिवक्ता (जे. ए. जी.) और सेना शिक्षा कोर (ए. ई. सी.) की मौजूदा दो धाराओं के अलावा मैकेनिकल इंजीनियर (ई. एम. ई.), सेना सेवा कोर, सेना आयुध कोर और खुफिया। इस प्रकार महिलाओं को उन सभी दस धाराओं में पी. सी. अनुदान के लिए विचार किया जाएगा जिनमें उन्हें वर्तमान में एस. एस. सी. अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। 3. महिला अधिकारियों को उपरोक्त दस हथियारों और सेवाओं में नियुक्त किया जाना जारी रहेगा, उनके अल्पकालिक सेवा के कार्यकाल में कोई बदलाव नहीं होगा।

4. कमीशन सेवा के तीन साल पूरे होने पर और

पी. सी. के अनुदान और विशेषज्ञता के लिए अपने विकल्पों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। 5. एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को पी. सी. आधारित अनुदान के लिए विचार किया जाएगा।

रिक्तियों की उपलब्धता और इच्छा, उपयुक्तता, प्रदर्शन, चिकित्सा योग्यता और प्रतिस्पर्धी योग्यता के अधीन। स्थायी कमीशन मिलने पर इन महिला अधिकारियों को उनकी योग्यता, पेशेवर अनुभव, विशेषज्ञता यदि कोई हो और संगठनात्मक आवश्यकता के अनुसार ही विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्तियों में नियुक्त किया जाएगा। 6. पी. सी. प्रदान की गई महिला अधिकारी अपनी मूल शाखा/सेवा का हिस्सा बनी रहेंगी। हालाँकि, वे केवल अपनी मूल शाखा/सेवा के भीतर और अपनी विशेषज्ञता के अन्य क्षेत्रों में ही कर्मचारियों की नियुक्तियों पर काम करेंगे।

7. चुनिंदा रैंकों में उनके करियर की आगे की प्रगति भारतीय सेना में अधिकारियों की मौजूदा अधिकृत संख्या के भीतर होगी।

उपरोक्त पैराग्राफ 6 के अनुसार और इस उद्देश्य के लिए कोई अतिरिक्त चुनिंदा रैंक रिक्तियां नहीं बनाई जाएंगी।

8. महिला अधिकारी जो स्थायी के लिए विकल्प का प्रयोग करने में विफल रहती हैं

कमीशन या स्थायी कमीशन का विकल्प नहीं चुनना उन नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा जिनके तहत उन्हें कमीशन किया गया था।

सचिव, रक्षा मंत्रालय v.

इटा पुणे [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

10. इस संबंध में आवश्यक प्रशासनिक निर्देश सेना मुख्यालय द्वारा जारी किए जाएंगे। 11. यह रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति के साथ उनकी आईडी संख्या 2 (12)/2019 (50-पीए) दिनांक 22.02.2019 के माध्यम से जारी किया जाता है।

(पूर्णिमा राजेंद्रन)

उप सचिव

दूरभाषः

23011593

प्रतिलिपि बनाएँः मानक वितरण के अनुसार "

23. सुनवाई के दौरान श्री आर बालासुब्रमण्यम को पता चला कि

आर भारत संघ की ओर से पेश वकील ने एक निविदा दी है

साल जो परिकल्पना करता है किः

(i) चौदह वर्ष तक की सेवा की महिला अधिकारी होंगी -

कैरियर की आगे की प्रगति के साथ पीसी के अनुदान के लिए विचार किया गया

केवल केंद्र सरकार के संदर्भ में कर्मचारियों की नियुक्तियों में

दिनांक 25 फरवरी 2019 का संचार। महिलाओं के बाद से

चार साल से अधिक की सेवा वाले अधिकारी कट-ऑफ से चूक गए हैं। अपनी पसंद का प्रयोग करने के लिए संचार में निर्धारित

पी. सी. और विशेषज्ञता के अनुदान का विकल्प चुनें, प्रावधान होंगे ऐसे अधिकारियों के लाभ के लिए संशोधित किया जाएगा;

((ii) चौदह वर्ष से अधिक की सेवा वाली महिला अधिकारी

बिना बीस साल तक सेवा करने की अनुमति होगी पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किया जा रहा है और तब

बैठक के अधीन पेंशन लाभों के साथ जारी किया गया

अनुशासनात्मक और चिकित्सा मानदंड; और

((iii) बीस वर्ष से अधिक की सेवा वाली महिला अधिकारी

पेंशन लाभों के साथ तुरंत जारी किया जाए

वर्तमान अपील का समापन।

उपरोक्त वर्गीकरण के लिए तर्क में समझाया गया है

विंग शर्तें:

(i) 1992 में सेना ने सेना सेवा में डब्ल्यू. एस. ई. एस. की शुरुआत की।

कोर, आर्मी ऑर्डनेंस कोर, एईसी और जेएजी शाखाएँ।

20] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रशिक्षण की अवधि चौबीस सप्ताह थी और सेवा का कार्यकाल पाँच वर्ष था।

(ii) 1996 में कोर ऑफ आर्मी में कार्यकाल को पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था।

इंजीनियर, सिग्नल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग

शाखाएँ; और

(iii) 2004 में, कार्यकाल को दस साल से बढ़ाकर चौदह साल (5 + 5 + 4) कर दिया गया था। महिला अधिकारी जिन्होंने अधिक काम किया है

चौदह वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ववर्ती की थी

डब्ल्यू. एस. ई. एस. जिनका टी. ओ. ई. शुरू में पाँच साल की अवधि के लिए था, दो अवधियों में विस्तारित किया गया, उसके बाद चौदह वर्ष (5 + 5 + 4)।

चूंकि उनका रोजगार एक सीमित अवधि के लिए था, इसलिए उन्हें पुरुष अधिकारियों के लिए उनतालीस सप्ताह की तुलना में चौबीस सप्ताह का छोटा पूर्व-कमीशन प्रशिक्षण दिया जाता था। इन अधिकारियों के पास सीमित कार्य और जिम्मेदारी है और कई

तकनीकी हथियारों में योग्य नहीं हैं।

24. इस न्यायालय के 23 जुलाई 2018 के एक आदेश के अनुसरण में

वर्तमान अपील में, भारत संघ ने रक्षा मंत्रालय में 4 मई 2018 को एक हलफनामा दायर किया। भारत संघ का कहना है कि सेना में सेवाओं को तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: (i) युद्ध हथियार; (ii) युद्ध सहायक हथियार; और (iii) सेवाएं। महिलाओं के लिए एस. एस. सी. केवल कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स एंड सर्विसेज में उपलब्ध था। सेना में महिलाओं के लिए एस. एस. सी. नियुक्तियों के लिए लड़ाकू हथियारों को बाहर रखा गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले ने भी इस स्थिति की पुष्टि की है। 2008 में, जे. ए. जी. और ए. ई. सी. में एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को पी. सी. का लाभ दिया गया था, जो सर्विस स्ट्रीम से संबंधित थीं। इसके परिणामस्वरूप

दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि उन सभी धाराओं में जहां सेना ने एस. एस. सी. महिला अधिकारियों के लिए विकल्प प्रदान किया है, पी. सी. प्रदान करने के विकल्प को बढ़ाने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। फैसले का प्रभाव यह है कि युद्ध सहायता हथियारों के विभिन्न विषयों में और सेवा श्रेणी में सभी एस. सी. सी. महिला अधिकारी जिनके लिए फैसला लागू होता है, वे आगे भी सेवा में बनी हुई हैं।

एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में चौदह वर्ष की अधिकतम अनुमेय अवधि।

25. 2008 से पहले कमीशन प्राप्त महिला एस. एस. सी. अधिकारी

उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकारों को लेकिन सेवा से छुट्टी दे दी गई थी, दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप सेवा में बहाल होने का लाभ प्राप्त हुआ। नतीजतन, वे चौदह साल के कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी जारी रहे हैं। भारत संघ का तर्क है कि सेना में महिलाओं की रोजगार क्षमता पर प्रतिबंध "अपरिहार्य है-रक्षा मंत्रालय V.

इटा पुणे [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सेना की विशिष्ट परिचालन संबंधी मजबूरियाँ "। के अनुसार

राज्य सरकार, पुरुषों के बीच विभाजन को खत्म करने के उपाय

अधिक से अधिक धाराओं में शकुन अधिकारियों को अपनाया जा रहा है

रचनात्मक तरीके से।

सी प्रस्तुतियाँ केंद्र सरकार की प्रस्तुतियाँ

26. दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए, भारत संघ की ओर से निम्नलिखित मुद्दों का आग्रह किया गया हैः

(अ)

पीसी का अनुदान

((i)

25 फरवरी 2019 के संचार से पहले,

एस. एस. सी. महिला अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा शासित थी

चौदह वर्ष की सेवा का समापन। पीसी के अनुदान की विशेष रूप से परिकल्पना नहीं की गई थी। इनमें से कोई भी अधिसूचना नहीं
या सेना के निर्देशों को उच्च के समक्ष चुनौती दी गई थी

न्यायालय;
दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला लेने में विफल रहा है

((ख)

संबंधित वैधानिक प्रावधानों और आदेशों की सूचना

भारत सरकार;

(iii)

1950 के अधिनियम की धारा 10 के तहत, कमीशन का अनुदान

यह भारत के राष्ट्रपति के विवेक पर है। पी. सी. का दावा करने के मौलिक अधिकार का अभाव 1950 के अधिनियम की धारा 12 द्वारा प्रबलित है, जिसके कारण कोई भी महिला पात्र नहीं है।

ऐसे कोर और विभागों को छोड़कर रोजगार के लिए जो भारत सरकार निर्धारित करे। कमीशन देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और कोई भी अधिदेश नहीं दे सकता है।

अदालत से दावा किया जाए;

(iv) 25 फरवरी 2019 का पत्र, जिसे अभिलेख पर रखा गया है, उचित विचार-विमर्श के बाद लिया गया है और राष्ट्रीय हित में जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि

संभावित रूप से लागू होता है; नीतिगत निर्णय 25 फरवरी 2019 को सूचित किया गया,

(v)

यह परिकल्पना की गई है कि एस. एस. सी. महिला अधिकारियों का कौशल [2020] 3 एस. सी. आर. हो सकता है।

भाषा दुभाषियों, कल्पना दुभाषियों और साइबर और सूचना जैसे विशेष क्षेत्रों में उन्हें प्रशिक्षित करके उपयोग किया जाता है।

तकनीक। इन विशेषज्ञताओं में, अप्रतिबंधित

उच्च पदों पर कैरियर की प्रगति सहित रोजगार

सुनिश्चित किया जा सकता है; और

(vi) नई नीति संगठनात्मक हित में है। इसके फायदे

नीति में परिकल्पित महिला अधिकारियों को प्रदान नहीं किया जा सकता है जिन्होंने चौदह वर्ष पार कर लिए हैं क्योंकि उनके पास प्रशिक्षित होने के लिए बहुत कम समय बचेगा। उन्हें लाभप्रद रूप से नियुक्त करना संभव नहीं होगा, क्योंकि उनके पास सीमित वर्ष होंगे। सेवा छोड़ दी।

पेंशन संबंधी लाभ

(ख)

27. 15 फरवरी 2019 के नीतिगत निर्णय द्वारा सूचित किया गया

भारत संघ का प्रावधान है कि पी. सी. की पेशकश एस. एस. सी. महिला अधिकारियों तक ही सीमित होगी जिन्होंने चौदह साल की सेवा पूरी नहीं की है। जिन लोगों ने चौदह वर्ष पूरे कर लिए हैं लेकिन बीस वर्ष की पेंशन योग्य सेवा प्राप्त नहीं की है, उन्हें जारी रखने की अनुमति होगी। पेंशन लाभों के अनुदान के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एक बार के उपाय के रूप में किसी भी जांच के बिना। जिन महिला अधिकारियों ने बीस साल की पेंशन योग्य सेवा पूरी कर ली है, उन्हें तुरंत सेवा से छुट्टी दे दी जाएगी और उन्हें पेंशन मिलेगी। इस प्रकार, पेंशन का पर्याप्त लाभ

अंतरिम आदेशों के तहत चौदह साल से अधिक सेवा जारी रखने वाली महिला अधिकारियों को सेवा प्रदान की गई है।

(ग) नीतिगत विचार

28 .

भारत संघ ने प्रस्तुत किया है कि:

(i) 1950 के अधिनियम की धारा 12 और संविधान के अनुच्छेद 33 1 8 द्वारा सशक्त, संविधान, भर्ती, पदों, श्रेणियों, संवर्गों और पीसी के अनुदान के लिए मानदंडों से संबंधित प्रश्न।

18 बलों आदि पर उनके अनुप्रयोग में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति। संसद, विधि द्वारा, यह निर्धारित कर सकती है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई भी अधिकार, अपने आवेदन में, (ए) सशस्त्र बलों के सदस्यों; या (बी) सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए

प्रभारित बलों के सदस्यों; या (सी) खुफिया या काउंटर इंटेलिजेंस के उद्देश्यों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों; या (डी) किसी के उद्देश्यों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में या उनके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को किस हद तक लागू होगा। खंड (ए) से (सी) में निर्दिष्ट बल, ब्यूरो या संगठन को प्रतिबंधित या निरस्त किया जाए ताकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन बनाए रखा जा सके।

नीतिगत निर्णयों का गठन करते हैं और विशेष रूप से कार्यकारी कार्यों के क्षेत्र में होते हैं;

((ii) 1950 के अधिनियम के प्रावधान, जहां तक वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या उन्हें प्रभावित करते हैं, अनुच्छेद 33 द्वारा संरक्षित हैं;

((iii) केंद्र सरकार को इस संबंध में नीति बनाने का अधिकार है।

सैन्य सेवाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महिला अधिकारियों को पी. सी. का अनुदान। केंद्र सरकार को सेना में सेवा करने में शामिल अंतर्निहित खतरों, सेवा की प्रतिकूल स्थितियों को ध्यान में रखने का अधिकार है, जिसमें शामिल हैं -

क्षेत्र और विद्रोह क्षेत्रों में गोपनीयता का अभाव, प्रसूति के मुद्दे और बाल देखभाल। ये विचार खुले नहीं हैं

न्यायिक समीक्षा; और

((iv) कमान/कार्यकाल के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा

भारत संघ बनाम पी. के. चौधरी (पी. के. चौधरी) में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित रूप से सीमित है।

((घ) व्यावसायिक खतरे

29. भारत संघ के अनुसार, महिलाओं को उन कर्तव्यों पर नियुक्त नहीं किया जाता है जो उनके पुरुष समकक्षों के विपरीत खतरनाक प्रकृति के होते हैं।

वही भुजा/सेवा जो युद्ध कर्तव्यों में नियोजित होने के लिए उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए, सेना सेवा कोर में एक पुरुष अधिकारी पैदल सेना से गुजरता है कमीशन होने पर क्षेत्र क्षेत्रों में कुर्की और बाद में विद्रोह/आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए राष्ट्रीय राइफल्स/असम राइफल्स में तैनात किया जा सकता है। अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मी समान रूप से युद्ध भूमिकाओं में लगे हुए हैं। इंजीनियरिंग शाखा में एक पुरुष अधिकारी का कार्यकाल राष्ट्रीय राइफल/असम राइफल्स में होगा, जबकि महिला अधिकारियों को "अंतर्निहित जोखिमों" के कारण नियुक्त नहीं किया जाता है।

(ई) भेदभाव

30. पुरुष और महिला एस. एस. सी. अधिकारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। उदाहरण के लिए, पुरुष एस. एस. सी. अधिकारी M.Tech पाठ्यक्रम का विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं हैं। जे. ए. जी. शाखा में महिला एस. एस. सी. अधिकारी 180 दिनों के बाल देखभाल अवकाश का लाभ उठा सकती हैं, जबकि पी. सी. महिला अधिकारी उनसे अपेक्षित लंबी अवधि की सेवा के कारण 360 दिनों का लाभ उठाने की हकदार हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है सॉफ्ट पोस्टिंग में डब्ल्यू. ओ. का प्रबंधन करने के लिए प्रबंधन चुनौती

आवश्यक आधारभूत संरचना, जिसमें खतरनाक कर्तव्य शामिल नहीं हैं

स्टेशन में अन्य महिलाओं के साथ नियमित पद "। सेना को जीवनसाथी की पोस्टिंग, "प्रसूति अवकाश, बाल देखभाल अवकाश के कारण लंबी अनुपस्थिति" को पूरा करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप "पुरुष अधिकारियों के वैध बकाया से समझौता करना पड़ता है"।

(च) अजय विक्रम सिंह समिति की रिपोर्टः एस. एस. सी. एक समर्थन के रूप में

कैडर

31. सशस्त्र बलों में कैडर के मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित अजय विक्रम सिंह समिति 20 का समर्थन किया गया

अधिकारियों का एक दुबला स्थायी संवर्ग, 1 के अनुपात में एक उन्नत समर्थन संवर्ग द्वारा पूरकः 1.1 भारतीय सेना की पिरामिड संरचना को देखते हुए। हालांकि, पी. सी. संवर्ग और एस. एस. सी. संवर्ग के बीच का अनुपात वर्तमान में 3.98 है। 1 . इसलिए, पी. सी. संवर्ग में आगे शामिल किया जाता है

एस. एस. सी. कैडर के माध्यम से सेना की संगठनात्मक संरचना बिगड़ जाएगी।

(छ) कर्मचारियों की नियुक्तियों में रोजगार

पी. सी. प्रदान किए गए अधिकारियों की सिफारिश केवल कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिए की जाएगी। 33. अंत में, भारत संघ द्वारा यह आग्रह किया गया है कि उसने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के दायरे में आने वाली सभी महिला अधिकारियों को फिर से नियुक्त किया है

जहाँ तक यह सेना से संबंधित है, न्यायालय। जो लोग सेवा में नहीं हैं, वे या तो अपने पदों पर शामिल नहीं हुए थे या सेवा में विस्तार के अनुदान के बावजूद रिहाई की मांग की थी। इसलिए, जो महिला अधिकारी सेवा से बाहर हैं या उच्च न्यायालय के फैसले के दायरे में नहीं हैं, वे 25 फरवरी 2019 के नीतिगत फैसले का लाभ नहीं ले सकती हैं। नीतिगत निर्णय के दायरे से बाहर एक महिला अधिकारी को लाभ का कोई भी विस्तार (यह आग्रह किया जाता है) "संवर्ग प्रबंधन के गंभीर प्रशासनिक मुद्दों को पैदा करने वाले मुकदमेबाजी के लिए बाढ़ के द्वार खोल देगा। "

34. भारत संघ की ओर से इन प्रस्तुतियों पर जोर देते हुए,

विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर बालासुब्रमण्यम ने अपने लिखित नोट में दो पहलुओं पर जोर दिया हैः

20 2003-2004 सचिव, रक्षा मंत्रालय v.

इटा पुणे [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(i) राष्ट्रीय सुरक्षा और संचालन की रक्षा करने की आवश्यकता

जीवंतता; और

((ii) भविष्य के युद्धों में गैर-रैखिक युद्ध के परिदृश्य।

35. इस स्तर पर, भारत संघ की ओर से प्रस्तुत लिखित से उद्धरण निकालना आवश्यक होगा। जबकिबाद में नोट की सामग्री पर अपने विचार व्यक्त नहीं करेंगे, यह है

कुछ भागों को निकालने के लिए, जैसा कि वे खड़े हैं:

(i) "सेवा की अनिवार्यताओं" के शीर्ष के तहत, निर्गमों के लिखित नोट में कहा गया है:

" हथियारों का पेशा न केवल एक पेशा है, बल्कि एक 'जीवन शैली' है, जिसके लिए अक्सर सेवा कर्मियों के पूरे परिवार द्वारा कर्तव्य की पुकार से परे त्याग और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, जिसमें अलगाव, बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले बार-बार स्थानांतरण शामिल होते हैं और

जीवनसाथी के करियर की संभावनाएँ। नतीजतन, डब्ल्यू. ओ. के लिए सेवा के इन खतरों का सामना करना एक बड़ी चुनौती है, जिसके कारण

गर्भावस्था, मातृत्व के दौरान उनकी लंबे समय तक अनुपस्थिति और

अपने बच्चों और परिवारों के प्रति घरेलू दायित्व, विशेष रूप से जब पति और पत्नी दोनों सेवा अधिकारी होते हैं। (ii) "भौतिक क्षमताओं" के शीर्ष के तहत, लिखित टिप्पणी

: :

" एक सैनिक अपने शारीरिक कौशल पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

लड़ाई करते हैं। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सैनिकों का नेतृत्व सामने से करें और उन्हें काम करने के लिए शारीरिक रूप से अच्छी स्थिति में होना चाहिए।

युद्ध कार्य। अंतर्निहित शारीरिक अंतर (संदर्भ)

अनुलग्नक ए) पुरुषों और महिलाओं के बीच समान शारीरिक संबंध को रोकता है।

कम शारीरिक मानकों के परिणामस्वरूप प्रदर्शन (संदर्भ अनुलग्नक बी) और इसलिए आई. ए. में डब्ल्यू. ओ. की भौतिक क्षमता इकाइयों की कमान के लिए एक चुनौती बनी हुई है।

(iii) "रैंक और फाइल की संरचना" के शीर्ष के तहत, लिखित

कहते हैं:

" अधिकांश देश जिनकी सेनाओं में अधिकारी महिलाएँ हैं

भारत, पाकिस्तान और तुर्की को छोड़कर महिलाएँ भी अपने पद पर हैं। इसके परिणामस्वरूप एक इकाई में एक अद्वितीय 'सभी पुरुष' वातावरण होता है जहां डब्ल्यू. ओ. की उपस्थिति के लिए उनकी उपस्थिति में मध्यम व्यवहार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सभी पुरुष इकाइयों में डब्ल्यू. ओ. की नियुक्ति की अपनी विशेषता है।

विचित्र गतिशीलता। "[2020] 3 एस. सी. आर.

(iv) "इन्फ्रास्ट्रक्चर" के शीर्ष के तहत, लिखित नोट में कहा गया हैः

" अग्रिम/सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा न्यूनतम के साथ बहुत बुनियादी है।

आवास और स्वच्छता के लिए सुविधाएं। अधिकारियों और कर्मचारियों को करना पड़ता है

आदिम के साथ काम करें/शिफ्ट की व्यवस्था करें। मैनिंग अग्रिम चौकियां और सीमित टुकड़ियों के साथ छोटी टुकड़ियां

संचार सुविधाओं से अलगाव की भावना पैदा होती है। तैनाती

यह उचित नहीं है "।

36. भारत संघ के प्रस्तुतिकरण नोट में कहा गया है कि

" शारीरिक सीमा "महिला अधिकारियों की रोजगार क्षमता पर" कारावास, मातृत्व और मातृत्व की चुनौतियों से बढ़ जाती है। बच्चों की देखभाल "। अंत में, नोट एक महिला अधिकारी के दुश्मन द्वारा पकड़े जाने और युद्ध का कैदी बनने के खतरों को दर्शाता है।

उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियाँ

37. उपरोक्त प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करते हुए, और इसकी गंभीर आलोचना करते हुए

महिला अधिकारियों, सुश्री मीनाक्षी लेखी, विद्वान वकील और सुश्री मीनाक्षी लेखी के बारे में अपनी धारणा में भारत संघ और रक्षा मंत्रालय द्वारा अपनाई गई प्रस्तुतियाँ।

ऐश्वर्या भाटी, विद्वान वरिष्ठ वकील इस मुद्दे में शामिल हुईं। न्यायालय का ध्यान कुल संख्या और कमी की ओर आकर्षित किया गया है

आज की तारीख को सेना में अधिकारी, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया हैः

भारतीय सेना के कार्यालयों का विवरण

आयोजित अधिकारी

कमी

ऑथ अधिकारी

40825 1653 महिला अधिकारियों सहित

50266

इसके अलावा, पचास-चार वर्ष की आयु वर्ग के 157 पुरुष अधिकारी

और पचास-आठ वर्ष की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें फिर से नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना में सेवारत महिला अधिकारियों की संवर्ग संरचना निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है:

भारतीय सेना में महिला अधिकारियों का विवरण

वर्तमान होल्डिंग

भाग्य अनिश्चित

20 वर्ष से अधिक

14-20 वर्षों के बीच

1653

77

332

255

38. महिला अधिकारी कुल का चार प्रतिशत हैं।

सेना में नियुक्त अधिकारियों की संख्या। सुश्री लेखी ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार ने 2010 में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत वर्तमान कार्यवाही शुरू की और इस पर कोई रोक नहीं होने के बावजूद दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करते हुए, रक्षा मंत्रालय v के अनुपालन में सेना में महिला अधिकारियों को पी. सी. देने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए।

बाबिता पुणे [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय। सुश्री लेखी ने प्रस्तुत किया कि यह पुरुष अधिकारियों के पहले से प्रबल डर पर आधारित है जो कुल संख्या का नब्बे-छह प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं कि चार प्रतिशत अधिकारी जो महिला हैं, उच्च पदों में "रिक्तियों को खा जाएंगे"। हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि वास्तविकता अलग है क्योंकि पुरुष अधिकारियों को पदोन्नत करने के लिए 322 सक्षम महिला अधिकारियों के कारण उच्च पद की रिक्तियों को हटा लिया गया है। सुश्री लेखी ने इस न्यायालय को संबोधित किया है सेना में महिला अधिकारियों के खिलाफ पारंपरिक पूर्वाग्रह के बारे में। महिला अधिकारियों ने लगभग पच्चीस वर्षों तक संगठन की सेवा की है और यह लड़ाई मानसिकता के खिलाफ है। उन कारकों से निपटना जो

भारत संघ द्वारा जोर दिए जाने पर, सुश्री लेखी द्वारा प्रस्तुत लिखित टिप्पणी में निम्नलिखित स्पष्टीकरण शामिल हैं:

(i) युद्धक्षेत्र परिदृश्यः सेना महिला अधिकारियों को चौदह साल की सेवा पूरी करने तक एक प्रभावी कार्यबल मानती है। कर्तव्यों की प्रकृति पुरुष अधिकारियों के समान है। पच्चीस वर्षों तक पुरुष अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के बाद, युद्ध के परिदृश्यों के संबंध में भारत संघ द्वारा उठाए गए विवाद में कोई सार नहीं है।

((ii) इकाई सामंजस्यः भारत संघ ने आरोप लगाया है कि महिलाओं की उपस्थिति से इकाई सामंजस्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह समय है कि संगठन महिलाओं को स्वीकार करना शुरू कर दे।

समान सहयोगी; और

((ग) राष्ट्रीय सुरक्षाः अपीलों का वर्तमान बैच दस वर्षों से विचाराधीन होने के बावजूद, सभी उम्र और सेवा प्रोफाइल की महिला अधिकारियों को अभी भी संवेदनशील स्थानों, क्षेत्रीय क्षेत्रों, बल मुख्यालयों और इकाइयों में तैनात किया जा रहा है।

युद्ध हथियारों में नियुक्त;

39. सुश्री लेखी ने आग्रह किया कि एस. एस. सी. में महिला अधिकारियों को गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ा है जिसमें शामिल हैं:

((i) व्यावसायिक विकास के लिए अवसरों की कमी;
((ii) अस्पष्ट स्थिति के कारण नौकरी की सुरक्षा का अभाव

कैडर; और

(iii) सेवा की कमी के कारण कनिष्ठ अधिकारियों के अधीन सेवा प्रदान करना

समान और समान पदोन्नति नीति।

40. दूसरे शब्दों में, महिला अधिकारियों को उनके पुरुष [2020] 3 एस. सी. आर. के बराबर पेंशन और पदोन्नति लाभों के बिना छोड़ दिया गया है।

समकक्षों ने अपने जीवन के प्रमुख वर्षों को समर्पित करने के बावजूद राष्ट्र की सेवा।

25 फरवरी के नीति पत्र के आधार पर प्रस्तुतियाँ

2019

41. सुश्री मीनाक्षी लेखी और सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने

उनके प्रस्तुतिकरणों के दौरान, 25 फरवरी 2019 के नीति पत्र के निम्नलिखित पहलुओं पर प्रकाश डाला गया जो भेदभावपूर्ण हैं:

((i) पैरा 4 के जवाब में: पुरुष एस. एस. सी. अधिकारियों को पूरा होने से पहले पी. सी. के अनुदान के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करना आवश्यक है।

दस साल की सेवा। एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को तीन साल की सेवा पूरी होने पर और चार साल की सेवा पूरी होने से पहले अपने विकल्प का उपयोग करना आवश्यक है। तुलनात्मक रूप से कम अनुभव के साथ जब उन्हें एक विकल्प का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, महिला अधिकारियों के पास एक सुविचारित निर्णय लेने के लिए पर्याप्त अनुभव की कमी होती है और पीसी दिए जाने की संभावना तुलनात्मक रूप से कम है।

((ii) पैरा 6 के जवाब में: केवल एस. एस. सी. महिला अधिकारियों पर प्रतिबंध

कर्मचारियों की नियुक्तियों का उद्देश्य उन्हें रिक्ति प्रतिबंधों, पदोन्नति और नियुक्ति के भीतर रोककर उनके कैरियर के विकास को रोकना है; और

(iii) पैरा 9 के जवाब में: इस नीति को संभावित रूप से लागू करना वरिष्ठ महिला अधिकारियों को पीसी के दायरे से बाहर रखने के लिए बनाया गया है। सेना संभावना का गलत अर्थ लगा रही है

पॉलिसी की तारीख के बाद शामिल महिला अधिकारियों को लाभ देने के लिए नीति का अनुप्रयोग। दूसरी ओर, जेएजी और एईसी अधिकारियों के लिए, संभावित आवेदन है नीति जारी होने की तारीख को सेवा में रहे अधिकारियों को लाभ प्रदान करने के लिए सेना द्वारा व्याख्या की गई थी।

42. यह भी तर्क दिया गया कि एम. एस.-1 और एम. एस.-3 के तत्वावधान में कर्नल के चुनिंदा पद पर कर्मचारी नियुक्तियों में महिला अधिकारियों की नियुक्ति उन्हें पुनः नियोजित, निम्न चिकित्सा श्रेणी और गैर-सूचीबद्ध पुरुष अधिकारियों के बराबर होगी। कमान नियुक्तियों पर तर्क का खंडन करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि कई कमान भूमिकाएँ हैं जिनके लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है जिनमें शामिल हैं:

(i) एन. सी. सी. बटालियन (100 से अधिक बालिका बटालियन हैं जिनकी कमान वर्तमान में पुरुष अधिकारियों द्वारा संभाली जा रही है); सचिव, रक्षा मंत्रालय v.

पनिया [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अभिलेख अधिकारी;

प्रशिक्षण रेजिमेंट;

सैनिक विद्यालयों और सैन्य विद्यालयों के कमांडेंट; और प्रोवोस्ट इकाई के कमांडिंग अधिकारी प्रोवोस्ट के रूप में अग्रणी हैं

महिला योद्धाओं को शामिल करना।

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करते हुए,

डेंट ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें तर्क दिया गया है किः

जिन सेवाओं में महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है

एस. एस. सी. महिला अधिकारी स्वभाव से जुझारू नहीं हैं। नौकरी की रूपरेखा में युद्ध हथियार खंड का समर्थन करना और रसद सहायता प्रदान करने, बनाए रखने और मरम्मत में सहायता करना शामिल है। उत्तरदाताओं को खाद्य वैज्ञानिक, सामग्री प्रबंधक, सॉफ्टवेयर जैसी विशिष्ट पात्रता योग्यताओं के साथ निर्दिष्ट नियुक्तियों के खिलाफ सेना में शामिल किया गया था।

इंजीनियर और भाषाई अधिकारी। इन तैनाती की तुलना सेना के लड़ाकू हथियारों से नहीं की जा सकती है। वर्तमान मामला लड़ाकू हथियारों में भर्ती या कमीशन की मांग करने के लिए शुरू नहीं किया गया है क्योंकि यह केंद्र सरकार का एक सचेत निर्णय है और नीति का विषय है।

कोर में सेवा करते समय एक कमीशन प्राप्त अधिकारी को जिस प्रकार का कर्तव्य निभाना होता है, उसे इन सेवाओं की सेना नियमावली में परिभाषित किया गया है। महिला और पुरुष दोनों अधिकारी जिन्हें इन सेवाओं में नियुक्त किया गया था, वे समान कार्य करते हैं।

विभिन्न कोर में नियुक्त महिला अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है पुरुष अधिकारियों (एस. एस. सी. या पी. सी.) के समान कर्तव्य और एक ही कोर में नियुक्त;

अपीलार्थी का दावा है कि महिला अधिकारियों के प्रतिकूल वातावरण के संपर्क में आने की संभावना है जहां दुश्मन के संपर्क में आने का गंभीर खतरा भेदभावपूर्ण और बिना किसी आधार के है। महिला अधिकारियों को भारतीय सेना द्वारा नियमित रूप से सभी संभावित क्षेत्रीय इकाइयों (युद्ध क्षेत्रों) में तैनात किया गया है और किया जा रहा है, जहां पुरुष अधिकारी [2020] 3 एस. सी. आर.

उसी कोर से भी सेवा कर रहे हैं। नतीजतन, जब बात आती है तो सेना गैर-भेदभाव की नीति का पालन करती है

पोस्टिंग लेकिन जब महिला अधिकारियों को पी. सी. देने की बात आती है तो ऐसा नहीं होता है। सभी महिला अधिकारियों में से तीस प्रतिशत क्षेत्र (युद्ध क्षेत्र) में तैनात हैं।

16 अगस्त 2010 तक भारतीय सेना में 11,500 अधिकारियों की भारी कमी है, जिनमें से लगभग 5,115 अधिकारी हैं। जिन सहायक सेवाओं में महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, उनमें अधिकारियों की कमी है। कमी के बावजूद

सहायक सेवाओं में अधिकारी, भारतीय सेना लैंगिक भेदभाव के कारण प्रशिक्षित महिला अधिकारियों को नौकरी से निकाल रही है और महिला अधिकारियों को पीसी नहीं दे रही है। अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए, सेना ने कर्नल या उससे कम रैंक के सेवानिवृत्त पुरुष अधिकारियों को सेवानिवृत्ति (54-58 वर्ष) की आयु में चार साल की अवधि के लिए पुनः रोजगार दिया है। भारतीय सेना में रिक्तियों को आसानी से संभाला जा सकता है

महिला अधिकारी;

महिला अधिकारी सभी अनिवार्य पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण लेती हैं जो अन्य एस. एस. सी. पुरुष अधिकारी भी लेते हैं। हालांकि, केवल पुरुष अधिकारी ही पी. सी. लेने के पात्र हैं। महिला अधिकारी जूनियर कमांड कोर्स से भी गुजरती हैं जो लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए सेना के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए अनिवार्य है। भारतीय सेना का कोई भी नियम यह निर्धारित नहीं करता है कि पीसी की मांग करने वाले अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सैनिकों की कमान दी जानी चाहिए। एक कमान पद केवल उन अधिकारियों को दिया जाता है जो दक्षता मीट्रिक के आधार पर अपने पदोन्नति बोर्ड को पास करते हैं। पुरुष अधिकारी (एस. एस. सी. या पी. सी.) जो कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं, उन्हें कर्मचारियों में समायोजित किया जाता है।

नियुक्तियाँ। इसी तरह, यदि महिला अधिकारी फिट पाई जाती हैं और

कर्नल के पद के लिए योग्य, उन्हें अगले पद पर पदोन्नत किया जा सकता है या जिस तरह से अन्य गैर-पैनल में शामिल पीसी पुरुष अधिकारियों को वर्तमान में अनुमति दी गई है, उन्हें जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।

केवल ए. ई. सी. और जे. ए. जी. शाखाओं की महिला अधिकारियों को पी. सी. प्रदान करने की भारतीय सेना की इच्छा, यह कहते हुए कि ये गैर-जुझारू भूमिकाएँ हैं, सच नहीं है क्योंकि ये दोनों कोर रक्षा मंत्रालय के सचिव नहीं हैं।

बाबिता पुणे [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

संगठनात्मक संरचना की तरह एक 'इकाई' है और पुरुष और महिला दोनों अधिकारियों को कमान पदों की पेशकश नहीं की जाती है; और

(viii) पी. सी. के अनुदान के संबंध में नीति की भेदभावपूर्ण प्रकृति के अलावा, महिला अधिकारियों के लिए नीतियां

सेना भी अपनी स्थिति को एक जवान/जेसीओ तक कम कर देती है। चौदह साल तक काम करने वाली महिला अधिकारी को न तो पेंशन दी जाती है और न ही सेवानिवृत्ति लाभ। पीसी, एसएससी पुरुष अधिकारियों/जवानों और जेसीओ की तुलना में सेना में महिला अधिकारियों के साथ किए गए व्यवहार का विवरण निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया है:

पेंशन

भूतपूर्व सैनिक

का एनकैशमेंट

भूतपूर्व

री।

सेवाकर्मी

अंशदायी

छोड़ दें।

रोजगार

स्वास्थ्य योजना

स्थिति

पेंशन योग्य

हां।

हां।

हां।

पीसी पुरुष

300 का भुगतान किया गया
पैसे लिए हुए दिन

20 साल बाद

अधिकारीगण

छोड़ दें।

हां।

हां।

हां।

जवान /

पेंशन योग्य

300 का भुगतान किया गया

15 साल बाद

पैसे लिए हुए दिन

जेसीओ

छोड़ दें।

कोई पेंशन नहीं कोई ई. एस. एम. दर्जा नहीं कोई ई. सी. एच. एस.

कोई प्रावधान नहीं

केवल 90 के लिए भुगतान किया गया

एसएससी

पुनः रोजगार के
दिनों को भुनाया गया

महिलाएँ

सुविधा

अधिकारीगण

छोड़ दें।

एस. एस. सी. सज्जन अधिकारी सब एक अलग श्रेणी में एक साथ हैं, क्योंकि उन्हें अनुमति है

एसएससी

5/10 वर्षों की सेवा के बाद और एक बार जब वे स्थायी हो जाते हैं तो स्थायी कमीशन का विकल्प चुनें

पुरुष।

अधिकारीगण

कमीशन, वे स्थायी कमीशन अधिकारियों के सभी लाभों के लिए अधिकृत हैं।

43. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ विचार के लिए आती हैं। डी 25 फरवरी 2019 के नीति पत्र का परिणाम

44. संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है -

कानून द्वारा यह निर्धारित करना कि संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए उनके आवेदन में किस हद तक प्रतिबंधित/निरस्त किया जाएगा ताकि उचित अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें। अपने कर्तव्यों का निर्वहन और उनके बीच अनुशासन बनाए रखना। अनुच्छेद 33 का प्रभाव संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों पर उनके आवेदन में मौलिक अधिकारों को सीमित करने या निरस्त करने में सक्षम बनाना है। लेकिन इस तरह का प्रतिबंध या निरसन कानून द्वारा होना चाहिए। इसके अलावा, प्रतिबंध या निरसन को उचित सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया जाना चाहिए

कर्तव्यों का निर्वहन और अनुशासन बनाए रखना।

45. इस न्यायालय के कई निर्णय सशस्त्र बलों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 33 से संबंधित हैं। राम सरूप बनाम संघ [2020] 3 एस. सी. आर.

भारत का 2 1 याचिकाकर्ता, 131 प्लाटून डी. एस. सी. में एक सिपाही, पर भारतीय दंड संहिता की धारा 232 के साथ पठित 1950 अधिनियम की धारा 69 के तहत आरोप लगाया गया था। जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी जिसकी पुष्टि केंद्र सरकार ने की थी। 1950 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ मुकदमे के संचालन के तरीके को चुनौती देने के लिए कई तर्क उठाए गए थे। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने चुनौती को खारिज कर दिया और सजा को बरकरार रखा। फैसले के दौरान, न्यायमूर्ति रघुबर दयाल ने पीठ के लिए लिखते हुए कहाः

" 15. ..... विद्वान महान्यायवादी ने आग्रह किया है कि पूरा अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है और यदि कोई प्रावधान है

अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुरूप नहीं हैं संविधान के भाग III के अनुच्छेदों में, यह लिया जाना चाहिए कि असंगति की सीमा तक संसद ने

अधिनियम का प्रावधान संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है और यदि ऐसा कोई प्रावधान संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, तो वह प्रावधान उस कारण से अमान्य नहीं हो जाता है, क्योंकि यह माना जाना चाहिए कि संसद ने संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए संबंधित मौलिक अधिकार को प्रभावित करने के लिए आवश्यक संशोधन किया है। हालाँकि हमारी राय है कि अधिनियम के प्रावधान या धारा 125 भेदभावपूर्ण नहीं हैं और इसका उल्लंघन नहीं करते हैं। संविधान के
अनुच्छेद 14 के प्रावधान।

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1950 का अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 33 द्वारा संसद को प्रदत्त सक्षम करने की शक्ति के अनुसरण में अधिनियमित किया गया था। संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर इसके प्रावधानों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद संविधान और संरक्षण का हकदार है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1950 के अधिनियम के प्रावधान कानून का एक अंतर्निहित हिस्सा हैं और अनुच्छेद 33 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में अधिनियमित किए जाने के बाद, उन्हें सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों की गारंटी को प्रतिबंधित या निरस्त करने की सीमा तक अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा।

46. लेफ्टिनेंट कर्नल पृथ्वी पाल सिंह बेदी बनाम भारत संघ 2 में, एक जनरल कोर्ट मार्शल बुलाने के आदेशों की वैधता और इसकी संरचना 21 (1964) 5 एससीआर 931

22 (1982) 3 एस. सी. सी. 140 रक्षा मंत्रालय का सचिव v. बाबिता पुणे [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पूछताछ की गई। यह तर्क दिया गया था कि कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमे के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, जो केवल संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप ही किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया था कि कोई भी प्रतिबंध कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा होना चाहिए और ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करने वाले कानून को संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा निर्धारित परीक्षण को पूरा करना चाहिए। न्यायमूर्ति डी. ए. देसाई ने इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए निम्नलिखित में सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों में प्रतिस्पर्धी हितों पर विचार किया जाना चाहिए।

शर्तें:

" 14. सशस्त्र कर्मियों के संबंध में बिना किसी भेदभाव के इस देश के सभी नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर अनुच्छेद 33 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित कानून द्वारा की गई घुसपैठ या अतिक्रमण की सीमाओं की जांच और सटीक रूप से पता लगाते समय, अदालत को दो परस्पर विरोधी सार्वजनिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए; अर्थात् किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सशस्त्र कर्मियों में अनुशासन, क्योंकि यह स्वयं दूसरों द्वारा मौलिक अधिकारों का आनंद सुनिश्चित करेगा, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों को इन मौलिक अधिकारों से वंचित करेगा जो अविभाज्य हैं।

सभ्य जीवन के पूरक "।

न्यायालय ने कहा कि राष्ट्र के सशस्त्र बलों के रखरखाव और तैयारी में सार्वजनिक हित को सशस्त्र बलों में अधिकारियों के मौलिक अधिकारों के निरसन या प्रतिबंध को संतुलित करने में समान रूप से बाध्यकारी सार्वजनिक हित के साथ तौला जाना चाहिए। इस कारण से, अनुच्छेद 33 निर्दिष्ट करता है कि लगाया गया कोई भी प्रतिबंध कानून द्वारा और अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए। अदालत ने चुनौती को खारिज कर दिया और कहा:

" ..... अनुच्छेद 33 यह बाध्य नहीं करता है कि संसद को भाग III में निहित प्रत्येक मौलिक अधिकार को विशेष रूप से जोड़ना चाहिए और अनुच्छेद 33 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित कानून में प्रत्येक अधिकार के प्रतिबंध या पूर्ण निरस्तीकरण की डिग्री निर्दिष्ट करनी चाहिए। यह अनुच्छेद 33 में एक ऐसी आवश्यकता को पढ़ना होगा जिसका वह आदेश नहीं देता है. इस निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है कि कोर्ट मार्शल द्वारा अपराधों के मुकदमे के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाली कानून को अनुच्छेद 21 की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए क्योंकि जिस हद तक प्रक्रिया कानून द्वारा निर्धारित की गई है और यदि यह अनुच्छेद 21 का अपमान करती है, उस हद तक अनुच्छेद 21 सशस्त्र [2020] 3 एस. सी. आर. को अपने आवेदन में।

सेना में प्रक्रिया को लागू करके बलों को संशोधित किया जाता है।

स्वयं कार्य करें "।

47. आर. विश्वन बनाम भारत संघ में, 23 संबंधित मुद्दों में से एक

क्या सेना नियम, 1954 के अध्याय IV के साथ पठित सेना अधिनियम, 1950 की धारा 21 संविधान के अनुच्छेद 33 के दायरे और दायरे में है। धारा 21 केंद्र सरकार को अधिसूचना द्वारा व्यक्तियों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने में "इस हद तक और इस तरह से जो आवश्यक हो" को प्रतिबंधित करने वाले नियम बनाने का अधिकार देती है।

1950 के अधिनियम के अधीन। न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने इस न्यायालय की संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए कहाः

" इस प्रकार एक साधारण पठन से पता चलेगा कि प्रतिबंधों की सीमा उनके किसी भी मौलिक अधिकार पर थोपा जाना आवश्यक है

सशस्त्र बलों और प्रभारित बलों के लिए आवेदन

उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव अपने कर्तव्यों का निर्वहन और अनुशासन बनाए रखना

वे अनिवार्य रूप से वर्तमान स्थिति पर निर्भर करेंगे समय के दिए गए बिंदु और इसे एक में संलग्न करना अनुचित होगा

कठोर वैधानिक सूत्र। संविधान निर्माता थे - स्पष्ट रूप से चिंतित है कि कोई और प्रतिबंध नहीं होना चाहिए

उचित सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल आवश्यक से अधिक रखा गया है

कर्तव्यों का निर्वहन और अनुशासन बनाए रखना

33 संसद को इसके भीतर प्रतिबंध लगाने या कम करने का अधिकार दिया गया अनुमेय सीमा तक, के भाग III के तहत प्रदत्त अधिकार

जहाँ तक सशस्त्र बल के कर्मियों का संबंध है, संविधान

चिंतित हैं। "

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने नोट किया कि मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध

अनुच्छेद 33 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग "कर्तव्यों के उचित निर्वहन और अनुशासन के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल आवश्यक" होना चाहिए। न्यायालय ने कहाः

" ..... इसलिए संसद अनुच्छेद 33 के तहत अपनी शक्ति के भीतर थी -

धारा 21 को अधिनियमित करना जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि केंद्र किस हद तक सरकार खंडों के तहत मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है

((क) अनुच्छेद 19 (1) के अधीन किसी भी व्यक्ति का, (ख) और (ग)

सेना अधिनियम, 1950, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक सदस्य है

23 (1983) 3 एस. सी. सी. 401 रक्षा मंत्रालय का सचिव v. बाबिता पुणे [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सशस्त्र बल। यह निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश कि केंद्र द्वारा किन प्रतिबंधों को आवश्यक माना जाना चाहिए

द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा के भीतर सरकार

संसद को अनुच्छेद 33 में ही प्रावधान किया गया है, अर्थात्, प्रतिबंध ऐसे होने चाहिए जो उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन और उनके बीच अनुशासन बनाए रखना। केंद्र सरकार को इस दिशा-निर्देश को अपने सामने रखना होगा

धारा 21 के तहत प्रतिबंध लगाने की शक्ति।

इस न्यायालय ने 1950 के अधिनियम की धारा 21 को बरकरार रखते हुए कहा कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग अनिवार्य रूप से प्रतिबंधों के अनुरूप होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 33 में निहित।

48. उपरोक्त मामलों में से किसी को भी 1950 के अधिनियम की धारा 12 के संदर्भ में प्रस्तुत नहीं किया गया था। वर्तमान मामले में एक ओर सशस्त्र बलों में महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक विशिष्ट प्रावधान के निहितार्थ और दूसरी ओर संघ द्वारा उठाए गए कदमों के मूल्यांकन की आवश्यकता है। सरकार महिला एस. एस. सी. अधिकारियों को उन धाराओं में पी. सी. प्रदान करेगी जिनमें उन्हें नियुक्त किया गया है।

49. 1950 के अधिनियम की धारा 12 में इस सिद्धांत का समावेश है कि एक महिला केवल ऐसे निकायों में नामांकन या रोजगार के लिए पात्र होगी।

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा तक नियमित सेना का हिस्सा या उससे जुड़े विभाग, शाखाएं या निकाय। दूसरे शब्दों में, नियमित सेना में नामांकन या नियुक्ति के लिए महिलाओं की पात्रता धारा 12 के सक्षम प्रावधान के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रावधान पर सशर्त है।

50. सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति एक विकासवादी प्रक्रिया रही है। जैसा कि हमने देखा है, शुरुआत में महिला अधिकारी थीं

वर्ष 1992 में डब्ल्यू. एस. ई. एस. के तहत पांच साल की अवधि के लिए शामिल किया गया। इसे और पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था। महिला अधिकारियों के लिए एस. एस. सी. के प्रावधान को शामिल करने पर, विकल्प दिए गए थे -

उनमें से जो पहले की योजना के तहत एस. एस. सी. अधिकारी बनने के लिए लगे हुए थे। एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में नियुक्त अधिकारियों के समूह के एक हिस्से के रूप में, सेवा में रहते हुए उचित पदोन्नति के प्रावधान के साथ कार्यकाल को चौदह साल तक बढ़ा दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, केंद्र सरकार को महिला अधिकारियों को पी. सी. प्रदान करने, युद्ध हथियारों के बहिष्कार और उनके पुरुष समकक्षों को पी. सी. के अनुदान के बराबर अधिकार दिए गए थे। उल्लेखनीय है कि निर्णय [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर इस न्यायालय द्वारा किसी भी स्तर पर रोक नहीं लगाई गई थी, हालांकि एक निर्देश था कि अपील में दिए गए फैसले के आधार पर कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाएंगे। इस न्यायालय द्वारा दंडात्मक कदम शुरू नहीं करने का निर्देश निर्णय के संचालन पर रोक से अलग है। केंद्र सरकार के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों पर कार्रवाई नहीं करने का कोई कारण या औचित्य नहीं था, विशेष रूप से, निर्णय के संचालन और प्रवर्तन पर रोक के अभाव में। केंद्र सरकार लगातार नाकाम करती रही

2 सितंबर 2011 के इस न्यायालय के आदेश के बावजूद कार्यान्वयन में यह स्पष्ट किया गया है कि "विवादित फैसले के संचालन पर बिल्कुल भी रोक नहीं है। " दिल्ली उच्च न्यायालय और इस न्यायालय को भी बहुत कम सम्मान दिया गया है। आखिरकार, फैसले के लगभग नौ साल बाद, केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2019 को एक नीतिगत परिपत्र जारी किया है, जिसके द्वारा जे. ए. जी. और ए. ई. सी. की मौजूदा धाराओं के अलावा आठ हथियारों/सेवाओं में महिला अधिकारियों को पी. सी. देने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार, नीति के रूप में, केंद्र सरकार ने उन सभी दस धाराओं में पीसी के अनुदान की अनुमति देने का निर्णय लिया है जिनमें वर्तमान में महिला अधिकारियों को एसएससी अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जा रहा था।

51. केंद्र सरकार का उन सभी दस धाराओं में महिला अधिकारियों को पीसी की अनुमति देने का निर्णय जहां उन्हें एसएससी के रूप में शामिल किया जा रहा है

अधिकारी सेना अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के आधार पर विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बालासुब्रमण्यम के निवेदन को काफी हद तक अनावश्यक बना देते हैं। धारा 12 में विचार किया गया है कि महिलाएं केवल सेना के उन क्षेत्रों में नामांकन के लिए पात्र होंगी जहां केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा उनके नामांकन और नियुक्ति की अनुमति दी है। यहां तक कि धारा 12 की पाठ्य व्याख्या पर भी, जैसा कि यह है,

यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के 25 फरवरी 2019 के नीतिगत निर्णय ने पी. सी. पर विचार करने की अनुमति दी है -

जिन सभी दस धाराओं को अधिसूचित किया गया है, उनमें महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। 52. केंद्र सरकार का नीतिगत निर्णय महिला अधिकारियों के अवसर की समानता के अधिकार की मान्यता है। इसका एक पहलू

वह अधिकार लिंग के आधार पर गैर-भेदभाव का सिद्धांत है जो संविधान के अनुच्छेद 15 (1) में सन्निहित है। अधिकार का दूसरा पहलू सार्वजनिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है।

अनुच्छेद 16 (1) के तहत रोजगार। इसलिए केंद्र सरकार के नीतिगत वक्तव्य को एक ऐसे निर्णय के रूप में माना जाना चाहिए जो सार्वजनिक नियुक्ति तक पहुंच प्राप्त करने के लिए महिलाओं के मौलिक अधिकार को लागू करता है।

बाबिता पुणे [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

और सेना से संबंधित संबंधों के मामलों में अवसर की समानता के लिए। मौलिक अधिकार को उन निर्दिष्ट धाराओं में मान्यता दी गई है जहां महिलाओं को सशस्त्र बल के समान सदस्यों के रूप में शामिल होने की अनुमति है जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय सेना करती है। केंद्र सरकार द्वारा स्थायी रूप से शामिल करने को मान्यता देने के साथ कमीशन प्राप्त महिला अधिकारियों ने 25 फरवरी 2019 को अपने नीतिगत निर्णय में, हमारी राय है कि भारत संघ द्वारा जो प्रस्तुतियाँ की गई हैं, वे मैदान की समझ की कमी को दर्शाती हैं

निर्णय के परिणाम। केंद्र सरकार का निर्णय

सहायक हथियारों और सेवाओं में अन्य कोर को पीसी का अनुदान देना यह मानता है कि एक महिला की शारीरिक विशेषताओं का संविधान के तहत उसके समान अधिकारों के लिए कोई महत्व नहीं है।

ई रूढ़िवादी और सशस्त्र बलों में महिलाएं

53. औपनिवेशिक काल के बाद स्वतंत्र राज्य के जन्म के सत्तर साल बाद भी संविधान के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को पहचानने के लिए दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। यह उन प्रस्तुतियों से स्पष्ट है जिन्हें इस न्यायालय के अभिलेख के एक भाग के रूप में रखा गया था। बार-बार, प्रस्तुतियों के दौरान, इस न्यायालय को सूचित किया गया है

वह:

(1) हथियारों का पेशा जीवन का एक तरीका है जिसके लिए कर्तव्य की पुकार से परे बलिदान और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।

((ii) महिला अधिकारियों को अपने बच्चों और परिवारों के प्रति गर्भावस्था, मातृत्व और घरेलू दायित्वों से निपटना चाहिए और सशस्त्र बल में एक सैनिक के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है।

(iii) एक सैनिक के पास युद्ध में शामिल होने की शारीरिक क्षमता होनी चाहिए।

पुरुषों और महिलाओं के बीच शारीरिक अंतरों में अंतर्निहित लड़ाई और लागू मानकों को कम करना है स्त्रियाँ;

((iv) एक इकाई में एक पूर्ण पुरुष वातावरण के लिए 'संयमित' वातावरण की आवश्यकता होगी।

महिला अधिकारियों की उपस्थिति में 'व्यवहार';

(v) महिला अधिकारियों की "शारीरिक सीमाएँ" कारावास, मातृत्व और बाल देखभाल की चुनौतियों से बढ़ जाती हैं; और

(vi) उन क्षेत्रों में महिला अधिकारियों की तैनाती की सलाह नहीं दी जाती है जहां सशस्त्र बलों के सदस्यों को "आवास और स्वच्छता के लिए न्यूनतम सुविधा" का सामना करना पड़ता है।

54. इस न्यायालय को सौंपे गए नोट में दिए गए प्रस्तुतिकरण सामाजिक रूप से लैंगिक रूढ़िवादिता पर आधारित हैं।

महिला अधिकारियों को। महिला अधिकारियों को पीसी के अनुदान से इस आधार पर इनकार करना कि यह एक इकाई में "विशिष्ट गतिशीलता" को परेशान करेगा, महिला अधिकारियों पर अनुचित बोझ डालता है जिसे महिलाओं को बाहर रखने के आधार के रूप में दावा किया गया है। लिखित नोट यह सुझाव देने के लिए एक आधार के रूप में "आवास और स्वच्छता के लिए न्यूनतम सुविधाओं" पर भी निर्भर करता है कि सेवाओं में महिला अधिकारियों को संघर्ष क्षेत्रों में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। उत्तरदाताओं ने रिकॉर्ड पर रखा है कि कुल महिला अधिकारियों में से 30 प्रतिशत वास्तव में संघर्ष क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त हैं। 55. ये दावे जो हमने लिखित प्रस्तुतियों से शारीरिक रूप से निकाले हैं जो इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, केवल सेना में सच्ची समानता लाने के लिए मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देते हैं। यदि समाज लैंगिक भूमिकाओं के बारे में दृढ़ विश्वास रखता है-कि पुरुष सामाजिक रूप से प्रबल, शारीरिक रूप से शक्तिशाली और लैंगिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले होते हैं।

परिवार और यह कि महिलाएं कमजोर और शारीरिक रूप से विनम्र हैं, और मुख्य रूप से देखभाल करने वाले घरेलू वातावरण तक ही सीमित हैं-यह संभावना नहीं है कि मानसिकता में बदलाव आएगा। एक ओर केंद्र सरकार द्वारा महिला एस. एस. सी. अधिकारियों को दस धाराओं में पी. सी. प्रदान करने की अनुमति देने के गंभीर नीतिगत निर्णय का सामना करते हुए, दूसरी ओर महिला एस. एस. सी. अधिकारियों द्वारा कर्तव्य पालन में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को कम करने के लिए इस न्यायालय को पूरी तरह से आधारहीन दलीलें दी गई हैं।

56. जवाबी हलफनामे में महिला एस. एस. सी. अधिकारियों द्वारा अपने पुरुष समकक्षों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए राष्ट्र के लिए प्रदान की गई सेवा का विस्तृत विवरण है।

सचिव, रक्षा मंत्रालय v.

इटा पुणे [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

टोपी की भूमिका को हमारे सामने बार-बार की गई दलीलों से कम करने की कोशिश की जाती है कि महिलाओं की, उनकी जैविक संरचना और परिवेश की प्रकृति से, उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम महत्वपूर्ण भूमिका है।

समर्पण की एक पंक्ति परेशान करने वाली है क्योंकि यह गंभीर को अनदेखा करती है

संस्थागत मूल्य जो राष्ट्र की प्रत्येक संस्था आईडी और सुविधा के लिए बाध्य है। भारतीय सेना की महिला अधिकारियों ने इस को बल में शामिल किया है। इन्हें कार्यवाही के दौरान प्रलेखित किया गया है और प्रस्तुतियों में इसका विरोध नहीं किया गया है। इनमें से कुछ

महिला अधिकारियों ने जो उपलब्धि हासिल की है, वे नीचे सूचीबद्ध हैं:

लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी (आर्मी सिग्नल कॉर्प्स) हैं

((i)

अभ्यास बल 18 नामक एक बहु-राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला, जो अब तक का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभ्यास है

भारत द्वारा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सेवा की है। 2006 में कांगो में शांति अभियान जहाँ वह, अन्य लोगों के साथ, उन देशों में संघर्ष विराम की निगरानी और मानवीय गतिविधियों में सहायता करने की प्रभारी थी। उनके काम में संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करना शामिल था।

((ख)

लेफ्टिनेंट कर्नल अनुवंदन जग्गी ने के रूप में कार्य किया बुरुंडी में संयुक्त राष्ट्र मिशन में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक दल की महिला टीम लीडर। उन्हें संयुक्त राष्ट्र बल कमांडर से सम्मानित किया गया था।

प्रमुख की ओर से प्रशंसा और प्रशंसा पत्र

उनके सराहनीय प्रयास के लिए सेना कर्मचारियों की ओर से;

(iii)

मेजर मधुमिता (सेना शिक्षा कोर) पहली हैं। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादियों से लड़ने के लिए देश की महिला अधिकारी को वीरता पुरस्कार (सेना पदक) दिया जाएगा। प्रतिकूलताओं के बावजूद, उन्होंने अपना बचाव जारी रखा और

निकासी प्रयासों ने कई लोगों की जान बचाई; और

(iv) लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी ने हाल ही में एक दल का नेतृत्व किया

भारतीय सेना सेवा कोर, भारत के इतिहास में एक पूर्ण पुरुष सेना दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई। इसी तरह, कैप्टन तानिया शेरगिल हाल ही में पहली भारतीय महिला परेड एडजुटेंट बनीं जिन्होंने सभी पुरुषों के दल का नेतृत्व किया। 15 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली;

(v)

सितंबर 2010 में, अधिकारियों में सम्मान की तलवार प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई (3 एस. सी. आर. के लिए एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र)

170 पुरुष अधिकारियों और 57 महिला अधिकारियों में से एस. एस. सी. पुरुष और महिला अधिकारी) लेफ्टिनेंट ए. दिव्या को दिए गए थे।

(vi) 8 सितंबर 2009 के एक पत्र 2 4 द्वारा, महिला अधिकारियों को भी त्वरित प्रतिक्रिया दलों का हिस्सा बनाया गया था, जहाँ महिलाएं थीं।

और पुरुष अधिकारी समान कर्तव्यों का पालन करते हैं;

(vii) भारतीय सेना महिला अधिकारियों को परिसर सौंपती है।

लेह से पठानकोट तक आवाजाही का आदेश दिनांक 15 सितंबर 2010 को उत्तरदाताओं में से एक, मेजर गोपिका भट्टी को जारी किया गया, जिन्होंने एक काफिले के कमांडर की भूमिका में, जूनियर कमीशन अधिकारियों, जवानों (ड्राइवरों और सहायकों) को संभाला। कर्मचारी), वाहन (रसद, हथियारों और गोला-बारूद से भरे)

और अन्य सैन्य उपकरण;

(viii) मेजर गोपिका अजीतसिंह पवार को संयुक्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के एक सैन्य सदस्य के रूप में उनकी भूमिका की मान्यता में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा राष्ट्र शांति पदक।

(ix) मेजर मधु राणा, प्रीति सिंह और अनुजा यादव थे

योग्यता पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित

संयुक्त राष्ट्र मिशन के सैन्य सदस्यों के रूप में सेवा

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में।

(x)

कैप्टन अश्विनी पवार (सेना अध्यादेश कोर) और कैप्टन शिप्रा मजूमदार (सेना इंजीनियर कोर) को 2007 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सेवा पदक से सम्मानित किया गया था।

और

(xi) भारतीय सेना की महिला अधिकारी रही हैं

2004 से संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल में भाग लेना

और सीरिया में सक्रिय युद्ध परिदृश्यों में तैनात किए गए हैं,

लेबनान, इथियोपिया और इज़राइल।

कई अन्य प्रशंसा प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्राप्त किए गए

लिंग के आधार पर यह न केवल उनकी गरिमा का अपमान है

लेकिन भारतीय सेना के सदस्यों की गरिमा के लिए-पुरुष और महिला-जो एक सामान्य मिशन में समान नागरिक के रूप में कार्य करते हैं।

57. न्यायालय वास्तव में उन सीमाओं के प्रति सचेत हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और नीति के मुद्दे सिद्धांत के न्यायिक विकास पर लागू होती हैं। सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों में। इस कारण से, हमने देखा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में लड़ाकू हथियारों में महिलाओं की भागीदारी को विशेष रूप से नीति का विषय माना गया है

और जो वर्तमान अपीलों में प्रश्नगत नहीं है। साथ ही हम

इस न्यायालय के समक्ष आग्रह की गई प्रस्तुतियों की पंक्ति के बारे में कुछ विस्तार से बताया है। ये प्रस्तुतियाँ महिला एस. एस. सी. नियुक्त अधिकारियों द्वारा उनके शामिल होने के बाद से निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका से अलग हैं। 1992 में। यह महसूस करने का समय आ गया है कि सेना में महिला अधिकारी पुरुष प्रधान प्रतिष्ठान की सहायक नहीं हैं, जिनकी उपस्थिति को संकीर्ण सीमाओं के भीतर "बर्दाश्त" किया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि महिलाओं को सेना की मुख्यधारा में लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उत्तरोत्तर उठाए गए कदमों (लड़ाकू हथियारों को छोड़कर) को उस तरीके से नहीं देखा जा सकता है। केंद्र सरकार का सभी दस धाराओं में महिला एस. एस. सी. अधिकारियों के लिए पी. सी. का विस्तार करने का मुख्य निर्णय, जिसमें वे कमीशन प्राप्त करती हैं, सेना में महिलाओं के समान अवसर के अधिकार को मान्यता देने और महसूस करने की दिशा में एक कदम आगे है। यह महिलाओं की समानता और गरिमा के प्रति मौलिक संवैधानिक प्रतिबद्धता को साकार करने की दिशा में एक कदम है।

एफ गैर-अनुपालन का परिणाम

58. केंद्र सरकार द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव में महिलाओं का तीन चरणों में मूल्यांकन शामिल है पी. सी. अनुदान के लिए एस. एस. सी. अधिकारी। प्रस्ताव में उन महिला अधिकारियों के बीच अंतर किया गया है जो चौदह साल से कम समय से सेवा में हैं और जो उससे आगे हैं। प्रस्ताव में परिकल्पना की गई है कि केवल चौदह वर्ष से कम सेवा वाली महिला अधिकारियों को ही पीसी के अनुदान के लिए विचार किया जाएगा। इस प्रस्ताव की शर्तों के तहत, चौदह साल से अधिक लेकिन बीस साल से कम की सेवा वाली महिला अधिकारी तब तक जारी रखेंगी जब तक कि वे बीस साल की पेंशन योग्य सेवा प्राप्त नहीं कर लेती हैं, बिना पीसी के अनुदान के। जिन महिला अधिकारियों ने बीस साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पेंशन मिलने पर तुरंत सेवा से छुट्टी दे दी जाएगी। प्रस्ताव है।

इस न्यायालय में स्वीकृति के लिए इस आधार पर सराहना की गई है कि यह चौदह वर्ष की सेवा को पार करने वाली महिला अधिकारियों को पेंशन लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है, जहां ऐसा लाभ अन्यथा उन्हें उपलब्ध नहीं होता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

59. चौदह से कम संख्या वाली महिला अधिकारियों के बीच जो अंतर करने की कोशिश की गई है, उसमें मौलिक भ्रांति है

60. दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने में सरकार की विफलता ने महिलाओं के प्रति अपूरणीय पूर्वाग्रह पैदा कर दिया है अधिकारी। पिछले दशक के मुकदमेबाजी के उतार-चढ़ाव वाले इतिहास में, उन्होंने सशस्त्र बल के सदस्यों के रूप में पदोन्नति और उच्च जिम्मेदारियों की धारणा का लाभ खो दिया है। अब मुड़ना और उन्हें सूचित करना कि वे पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किए जाने का अधिकार खो देंगे, न्याय का उपहास होगा। तदनुसार हमारा विचार है कि एस. एस. सी. महिला अधिकारी, चौदह वर्ष की सेवा और उससे आगे की अवधि के भीतर, पी. सी. के अनुदान के लिए समान रूप से विचार करने की हकदार होनी चाहिए।

61. संघ द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय

25 फरवरी 2019 को सरकार ने संकेत दिया कि इसे संभावित रूप से लागू किया जाना है। इस न्यायालय के लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि निर्णय के संभावित आवेदन का मतलब यह नहीं है कि यह उन महिला अधिकारियों पर लागू होगा जिन्हें निर्णय की तारीख के बाद एस. एस. सी. के अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने इसे इस तरह से लागू नहीं किया है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि निर्णय में माना गया है कि महिला अधिकारी-सचिव, रक्षा मंत्रालय v.

बाबिता पुणे [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पहले से ही सेवा में लेकिन चौदह वर्ष से कम के साथ विचार किए जाने का हकदार होगा। इसलिए हम स्पष्ट करते हैं कि नीतिगत निर्णय उन सभी महिला एस. एस. सी. अधिकारियों पर लागू होगा जो वर्तमान में सेवा में हैं, चाहे उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि कुछ भी हो।

62. श्री आर बालासुब्रमण्यम, विद्वान वरिष्ठ वकील ने पी. के. चौधरी में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि कमान/कार्यकाल के मामलों में न्यायिक समीक्षा सीमित है। उस मामले में, अजय विक्रम सिंह समिति के सुझावों के अनुसार 25

भारतीय सेना में अधिकारियों की आयु सीमा से कम और कर्नल के पद पर 1484 अतिरिक्त रिक्तियां पैदा करने के लिए, केंद्र सरकार ने अतिरिक्त 1484 रिक्तियों को मंजूरी दी, जिन्हें दो अलग-अलग चरणों में आवंटित किया जाना था। पहले चरण में, लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्तियों के उन्नयन द्वारा 750 रिक्तियों को मंजूरी दी गई थी।

कर्नल जिन्हें सेना की तीन सेवा शाखाओं-युद्ध, युद्ध सहायता और सेवाओं में वितरित किया जाना था। हालांकि, दूसरे चरण में, केंद्र सरकार ने शेष 734 रिक्तियों को 'कमांड एक्जिट मॉडल' पर आवंटित करने की मंजूरी दी, जो सेना की कार्यात्मक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप होने का दावा किया गया था। दूसरे चरण में स्वीकृत रिक्तियों के आनुपातिक हिस्से से इनकार किए जाने से नाराज, सेवा कोर में शामिल किए गए उत्तरदाताओं ने केंद्र सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी।

63. केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि एवीएस समिति की सिफारिशें केवल कॉम्बैट एंड कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स के अधिकारियों तक ही सीमित थीं और इसका विस्तार सेना के हथियारों तक नहीं था। यह भी तर्क दिया गया कि रिक्तियों के आवंटन के लिए 'कमांड एक्जिट मॉडल' न तो भेदभावपूर्ण था और न ही मनमाना, बल्कि समिति की सिफारिशों के अनुसार था। इस अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ ने प्रतिवादियों के दावे को खारिज कर दिया। श्री आर बालासुब्रमण्यम

उन्होंने यह तर्क देने के लिए निर्णय पर भरोसा करने का प्रयास किया कि अदालतों को सशस्त्र बलों से संबंधित प्रश्नों से बचना चाहिए क्योंकि वे नीति के ऐसे मामले हैं जिनमें अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं।

64. पी. के. चौधरी में निर्णय के अंतर्निहित तर्क का पालन करना आवश्यक है। अदालत ने नोट किया कि एवीएस समिति ने नहीं किया कोर ऑफ सर्विसेज में कर्नल के रिक्त पदों को ध्यान में रखें। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि समिति ने आर्मी सिग्नल कोर, आर्मी ऑर्डनेंस कोर और अन्य माइनर कोर में यूनिट कमांडरों की आयु प्रोफ़ाइल में कमी की सिफारिश नहीं की। इस प्रकार, तर्क का आग्रह किया गया

25 " एवीएस समिति "[2020] 3 एस. सी. आर.

उत्तरदाताओं ने कहा कि रिक्तियां सृजित करने के लिए समिति की सिफारिशें सभी धाराओं में सेवारत अधिकारियों के लाभ के लिए थीं, उन्हें खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने आगे कहा कि 'कमांड एक्जिट मॉडल' को अपनाने के लिए एवीएस समिति की सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। नतीजतन, केवल इसलिए कि पहले का आवंटन था

यदि इसे वापस नहीं लिया जाता है, तो यह 'कमांड एक्जिट मॉडल' के आधार पर रिक्तियों को आवंटित करने के सरकार के निर्णय की बाध्यकारी प्रकृति को प्रभावित नहीं करेगा। न्यायालय ने कहाः

" 28 ..... यदि सेना मुख्यालय ने सिफारिशों और सरकार के निर्णय के विपरीत अनुपात के आधार पर रिक्तियों को आवंटित करने में गलती की है, तो ऐसी कोई त्रुटि नहीं हो सकती है।

आर्म्स एंड आर्म्स सपोर्ट में सेवारत अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो दूसरी किश्त में अधिक संख्या में रिक्तियों के हकदार थे, लेकिन जो प्रो रेटा पर किए गए पिछले आवंटन में त्रुटि के कारण इस तरह के आवंटन से वंचित थे।

आधार "।

इसके अलावा, न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा वैध अपेक्षा के दावे को निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दियाः

" 58 ..... इस नीति में कुछ भी विकृत, अनुचित या अनुचित नहीं है कि कमांड एक्जिट मॉडल पर आवंटित की जाने वाली अतिरिक्त रिक्तियों का सृजन करके कॉम्बैट आर्म्स और कॉम्बैट आर्म्स सपोर्ट में सेवारत अधिकारियों की आयु को कम किया जाएगा। इस प्रकार पेश की गई नीति में किसी भी विकृति, अनुचितता या अनुचितता के अभाव में, वैध अपेक्षा पर आधारित तर्क को उस नीति को अस्थिर करने या पूर्ववत करने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है जो अन्यथा प्रशंसनीय है।

65. पी. के. चौधरी मामले में इस अदालत का फैसला ए. वी. एस. समिति की विशिष्ट सिफारिशों के साथ-साथ

रिक्तियों के आवंटन के लिए कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार की कार्रवाई। इस न्यायालय ने कहा कि आवंटन का पहला चरण स्पष्ट रूप से एवीएस समिति की सिफारिशों के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई आवंटन की विधि दोनों के विपरीत था। न्यायालय ने यह भी कहा कि दूसरे चरण में आवंटन की विधि किसी भी विकृति, अनुचितता या अन्याय से ग्रस्त नहीं थी।

66. जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, न्यायालय उन सीमाओं के प्रति सचेत हैं जो नीति के प्रश्न सचिव, रक्षा मंत्रालय v से संबंधित मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप पर लागू करते हैं।

बाबिता पुणे [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सशस्त्र बलों के लिए। साथ ही, सभी महिला एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. प्रदान करने का विकल्प देने के केंद्र सरकार के एक प्रमुख निर्णय के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्देशों को लागू न करने के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, वर्तमान मामले में हस्तक्षेप न करना न्याय के उपहास से कम नहीं होगा।

जी मानदंड नियुक्तियों पर कंबल प्रतिबंध

और कर्मचारियों की नियुक्तियों को छोड़कर। इस तरह का प्रतिबंध तब नहीं लगाया गया था जब जे. ए. जी. और ए. ई. सी. शाखाओं को अनुदान के लिए खोला गया था। अतीत में महिला एसएससी अधिकारियों के लिए पीसी। इसका परिणाम, सेना द्वारा एक अंतर्निहित स्वीकृति है कि महिलाएं, कुछ स्थितियों में,

मानदंड या कमांड नियुक्तियाँ प्राप्त करें। मानदंड या कमान नियुक्तियों की मांग करने वाली महिलाओं पर एक पूर्ण प्रतिबंध के अनुरूप नहीं होगा

किसी विशेष उम्मीदवार को कोई मानदंड या कमान सौंपा जाना चाहिए या नहीं, यह सक्षम प्राधिकारी के लिए सेवा, प्रदर्शन और संगठनात्मक आवश्यकताओं की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार करने का विषय है। वर्तमान मामले में सेना ने अपने बोझ का निर्वहन करने में कोई औचित्य नहीं दिया है कि महिलाओं ने पूरे देश में क्यों बोर्ड पर किसी भी मानदंड या कमान नियुक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए। जिन पुरुष एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. दिया जाता है, उनके लिए कमान कार्य स्वचालित नहीं होते हैं और महिलाओं के लिए भी स्वचालित नहीं होते हैं। कर्मचारियों की नियुक्तियों को छोड़कर अन्य सभी से महिलाओं का पूर्ण बहिष्कार

अक्षम्य। यदि सेना के पास किसी विशेष मानदंड या कमान नियुक्ति से महिलाओं को बाहर रखने के ठोस कारण हैं, तो वह उन्हें संबंधित अधिकारियों को और यदि आवश्यक हो, तो भविष्य की अदालतों को प्रदान कर सकती है। हालाँकि, इस तरह का औचित्य [2020] 3 एस. सी. आर. के आलोक में मामले-दर-मामले के आधार पर होना चाहिए।

किसी विशेष नियुक्ति की आवश्यकताएँ और आवश्यकताएँ। सेना द्वारा व्यक्तिगत औचित्य के अभाव में मानदंड या कमान नियुक्तियों के लिए महिलाओं पर विचार न करने को कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है।

68. इसलिए हम मानते हैं कि अभिव्यक्ति "विभिन्न कर्मचारियों में"

केवल "अनुच्छेद 5 में नियुक्तियाँ और 25 फरवरी 2019 के संचार के अनुच्छेद 6 में" केवल कर्मचारियों की नियुक्तियों पर "नियुक्तियाँ लागू नहीं की जाएंगी। हम पहले ही महिला अधिकारियों की ओर से सुश्री लेखी द्वारा आग्रह किए गए निवेदन को स्वीकार कर चुके हैं कि विभिन्न कमांड असाइनमेंट हैं जिनमें महिलाओं को बाहर करने का कोई कारण या औचित्य नहीं होगा। यह प्रासंगिक के निर्धारण के लिए एक मामला है प्राधिकरण।

एच दिशाएँ

69. हम तदनुसार केंद्र सरकार द्वारा 25 फरवरी 2019 के पत्र के रूप में इन कार्यवाहियों में रिकॉर्ड पर रखी गई नीति के बयान को रिकॉर्ड में लेते हैं और निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

(i) संघ द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय

सरकार ने उन सभी दस धाराओं में एस. एस. सी. महिला अधिकारियों को पी. सी. अनुदान देने की अनुमति दी है जहां महिलाओं को भारतीय सेना में एस. एस. सी. प्रदान किया गया है, जो निम्नलिखित के अधीन स्वीकार किया जाता है:

(क) एस. एस. सी. में सभी सेवारत महिला अधिकारियों पर विचार किया जाएगा।

पी. सी. के अनुदान के लिए, चाहे उनमें से कोई भी चौदह वर्ष या बीस वर्ष को पार कर चुका हो। सेवा के वर्ष;

(ख) यह विकल्प वर्तमान में सभी महिलाओं को दिया जाएगा।

एस. एस. सी. अधिकारियों के रूप में सेवा;

(घ) एक बार के उपाय के रूप में, पेंशन योग्य सेवा की प्राप्ति तक सेवा में बने रहने का लाभ उन सभी मौजूदा एस. एस. सी. अधिकारियों पर भी लागू होगा जिनकी सेवा चौदह वर्ष से अधिक है और जिन्हें पी. सी. पर नियुक्त नहीं किया गया है।
(ई) पैरा 5 में "केवल विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्तियों में" और पैरा 6 में "केवल कर्मचारियों की नियुक्तियों पर" अभिव्यक्ति होगी।

लागू नहीं किया जाएगा; रक्षा मंत्रालय V.पनिया [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

(च) बीस साल से अधिक की सेवा वाली एस. एस. सी. महिला अधिकारी जिन्हें पी. सी. नहीं दिया गया है, वे नीतिगत निर्णय के संदर्भ में पेंशन पर सेवानिवृत्त होंगी; और (छ) पी. सी. अनुदान का विकल्प चुनने के चरण में, विशेषज्ञता के लिए सभी विकल्प महिला अधिकारियों के लिए उपलब्ध होंगे।

पुरुष एस. एस. सी. अधिकारियों के लिए समान शर्तों पर। महिला एस. एस. सी. अधिकारी अपने पुरुष समकक्षों के समान शर्तों पर पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किए जाने के लिए अपने विकल्पों का उपयोग करने की हकदार होंगी।

हम उस स्पष्टीकरण की पुष्टि करते हैं जो उप में जारी किया गया है

आक्षेपित निर्णय और आदेश के अनुच्छेद 61 का पैरा (i)

दिल्ली उच्च न्यायालय; और

एस. एस. सी. महिला अधिकारी जिन्हें पी. सी. प्रदान किया जाता है

उपरोक्त निर्देश सभी परिणामी मामलों के हकदार होंगे।

पदोन्नति और वित्तीय लाभ सहित लाभ। हालांकि, ये लाभ उन अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

सेवा या वे जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था

रिट याचिकाएं दायर करना और जो कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे।

इस निर्णय के अनुपालन के लिए आवश्यक कदम होंगे -

इस निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर।

हम तदनुसार अपीलों का निपटारा करते हैं। हालांकि, वहाँ होगा लागतों के बारे में।

अपीलों का निपटारा किया गया।

त्रिपाठी